



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्योजना

करनपुर ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार







# कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



करनपुर ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव  
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

### जिला प्रशासन

श्रीमती हर्षिता माथुर, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), रायबरेली  
श्री अर्पित उपाध्याय, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), रायबरेली

### वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ  
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक  
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

### करनपुर ग्राम पंचायत

श्री रहमत अली, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

### पानी (पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन)

श्री शिवानंद शुक्ला, श्री आदित्य मिश्रा, श्री प्रोमोद सिंह

## डिज़ाइन एवं लेआउट

### वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया









श्रीमती हर्षिता माथुर  
(आई.ए.एस.)



जिलाधिकारी, रायबरेली  
उत्तर प्रदेश  
पत्र सं- 1600  
दिनांक :- 05-09-2024

—:संदेश:—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- करनपुर, विकास खण्ड-बछरावां, जनपद रायबरेली की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान अनुभव हो रहा है, जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए एक ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(हर्षिता माथुर)



श्री अर्पित उपाध्याय  
(आई.ए.एस.)



मुख्य विकास अधिकारी  
जनपद रायबरेली,  
उत्तर प्रदेश  
दिनांक:- पत्र सं०-1601  
05-09-2024

:: संदेश ::

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-करनपुर, विकास खण्ड-बछरावां, जनपद-रायबरेली की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

इस कार्ययोजना द्वारा न केवल ग्राम पंचायतों में परस्पर संवाद, सहयोग की भावना को प्रेरित किया जायेगा बल्कि एक साथ मिलकर भविष्य में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए आने वाली पीढ़ियों को जागरूक भी किया जायेगा। जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के स्थायी लक्ष्यों को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जो न केवल पर्यावरणीय संरक्षण के लिए हितकर हो बल्कि समाजिक न्याय को सुनिश्चित भी करें।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की मैं आशा करता हूँ।

।। शुभकामनाओं सहित ।।

भवदीय  
  
(अर्पित उपाध्याय)



# ग्राम पंचायत करनपुर

विकास खण्ड - बछरावां  
जनपद - रायबरेली

रहमत अली  
प्रधान/अध्यक्ष

निवास - कुन्दनगंज करनपुर  
वि०ख० बछरावां जनपद..रायबरेली

मो० 9453299000

पत्रांक मे०मो.....

दिनांक 05.09.2024.....

ग्राम प्रधान — रहमत अली  
ग्राम पंचायत— करनपुर  
वि०ख०- बछरावां जिला- रायबरेली



अमार


सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत करनपुर वि०ख०- बछरावां जिला-रायबरेली की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है। और हमारे समुदाय और नावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सन ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम समा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आँकड़ों को एकत्रित किया गया। आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्या संस्थान वाराणसी व गोरखपुर इन्व्हायरमेन्ट एक्शन ग्रुप (जी०ई०ए०जी०) गोरखपुर का आंकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्रामवासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वाताकत्रवरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आईये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद



(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत करनपुर  
वि०ख०- बछरावां जिला- रायबरेली





# विषय-वस्तु

1	<b>कार्यकारी सारांश</b>	1
2	<b>ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल</b>	4
	▪ करनपुर ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ करनपुर में सुविधाएं	9
3	<b>कार्बन फुटप्रिंट</b>	10
4	<b>व्यापक मुद्दे</b>	11
5	<b>प्रस्तावित मुझाव</b>	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	18
	3. सतत कृषि	22
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	33
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	43
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	47
6	<b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>	51
7	<b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b>	57
8	<b>आगे की राह</b>	64
9	<b>अनुलग्नक</b>	65

## चित्र तालिका

चित्र 1	: करनपुर ग्राम पंचायत, जिला रायबरेली का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: करनपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990- 2021	6
चित्र 3	: करनपुर में वार्षिक वर्षा, 1990- 2021	6
चित्र 4	: करनपुर में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5	: करनपुर में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का विवरण	7
चित्र 6	: करनपुर में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: करनपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: करनपुर में कृषि पर निर्भर परिवारों की संख्या	8
चित्र 9	: करनपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार विवरण	8
चित्र 10	: वर्ष 2022 में करनपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11	: 2022 में करनपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



## कार्यकारी सारांश

**रा**यबरेली जिले की करनपुर ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। करनपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्ययोजना तैयार की गई है। करनपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे करनपुर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए करनपुर ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधारभूत रूपरेखा बनाने और करनपुर के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

### दृष्टिकोण

#### प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

**सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

#### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और करनपुर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित है।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: करनपुर में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था।
- प्रस्तावित संस्तुतियाँ: चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर करनपुर के लिए अनुशंसाएँ तैयार की गईं। इन अनुशंसाओं में मध्य मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, करनपुर की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलू सम्मिलित हैं।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया कि ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव, 7 बस्तियां और 1,007 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 5,297<sup>2</sup> है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि सम्मिलित हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि करनपुर ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~3006 tCO<sub>2</sub>e<sup>3</sup> है।

ग्राम पंचायत करनपुर में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- ग्राम पंचायत में पाइप से जलापूर्ति की पहुंच का विस्तार करना और सहभागी जल प्रबंधन के माध्यम से वर्तमान जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर को बढ़ाने जैसे पहलों को लागू करना। आवरण/क्षेत्रों का विस्तार करके लू जैसी तीव्र मौसमी आपदाओं के प्रभावों को कम करना।
- जलवायु अनुकूल फसलों, जैविक उर्वरकों और कृषि-वानिकी प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत कृषि प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
- विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) और सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।

करनपुर को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट लचीला और स्मार्ट बनाने के लिए इन सुझावों को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है – चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) एवं चरण III (2030-2035)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

करनपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे करनपुर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा करनपुर जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- यह वर्तमान विकास कार्यों और गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को करनपुर की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 4,212 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 53,800 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹33 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹11 करोड़) केन्द्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त वित्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 4,171


3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से प्राप्त ग्रिड उत्सर्जन कारक)।

# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## करनपुर

## करनपुर ग्राम पंचायत एक नज़र में†

	<b>स्थान</b>	बछरावां ब्लॉक, रायबरेली जिला		<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b> कृषि
	<b>कुल क्षेत्रफल<sup>4</sup></b>	600 हेक्टेयर <sup>5</sup>		<b>जल संसाधन:</b> नैया नदी, 24 तालाब, 9 कुएं
	<b>संयोजन</b>	1 राजस्व गांव 7 बस्तियां		<b>कृषि-जलवायु क्षेत्र<sup>10</sup></b>
	<b>कुल जनसंख्या<sup>6</sup></b>	5,297 <sup>7</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>मध्य मैदान</li> <li>जलवायु परिस्थितियाँ: मध्यम वर्षा के साथ</li> <li>गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां</li> <li>न्यूनतम तापमान: 5.5 °C</li> <li>अधिकतम तापमान: 45 °C</li> <li>वार्षिक वर्षा: 863 मिमी</li> <li>मिट्टी - जलोढ़</li> <li>पीएच - सामान्य से लेकर थोड़ा क्षारीय, जिसमें मध्यम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है जो गेहूं और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है</li> </ul>
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	2,751		<b>जिले की समग्र संवेदनशीलता<sup>11</sup></b> मध्यम
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	2,546		<b>जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता</b>
	<b>कुल परिवार<sup>8</sup></b>	1,007		<ul style="list-style-type: none"> <li>जल भेद्यता: अधिक</li> <li>ऊर्जा भेद्यता: अधिक</li> <li>आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम</li> <li>ग्राम्य विकास भेद्यता: मध्यम</li> <li>कृषि भेद्यता: कम</li> <li>स्वास्थ्य भेद्यता: कम</li> </ul>
	<b>पंचायत अवसंरचना</b>			
		7-(पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, लघु सचिवालय, आयुष स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, आरआरसी)		
	<b>भूमि उपयोग<sup>9</sup></b>			
		कृषि भूमि – 150 हेक्टेयर		
		जल निकाय (तालाब) - 20 हेक्टेयर		
		ग्राम सभा भूमि – 13 हेक्टेयर		
		शेष भूमि - 417 हेक्टेयर		

† योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण के आंकड़े (फरवरी 2023)

4 भुवन (BHUVAN) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 346 हेक्टेयर है।

5 ग्राम प्रधान के साथ हुई कई चर्चाओं के निष्कर्षों पर आधारित

6 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 4,171; पुरुष - 2,166; महिला- 2,005


7 प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आदानों पर आधारित

8 913 पक्के घर और 94 कच्चे घर (मिट्टी, भूसा, टिन)


9 ग्राम प्रधान के साथ कई चर्चाओं के निष्कर्षों पर आधारित

10 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

11 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



**करणपुर ग्राम पंचायत**  
**बछरावां ब्लॉक**  
**रायबरेली जिला**  
**उत्तर प्रदेश राज्य**



स्रोत: स्पेस बेसड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीलाइज्ड प्लानिंग  
<https://bhuvan-panchayat3.rsc.gov.in/>

**चित्र 1:** करनपुर ग्राम पंचायत, जिला रायबरेली का भूमि-उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 की तुलना में 2021<sup>12</sup> में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में 1.4°C की बढ़ोतरी हुई है। जबकि वार्षिक औसत अधिकतम तापमान में कोई विशेष उतार-चढ़ाव नहीं आया है (चित्र 2)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है<sup>13</sup>। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल<sup>14</sup> और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार<sup>15</sup> के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिनों की वृद्धि देखी गई है और सर्दी के दिनों की संख्या लगभग 25-30 दिन कम हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20-25 दिनों की कमी आई है (वर्षा ऋतु की शुरुआत देर से हुई है)।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

12 करनपुर के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) आंकड़ें और दैनिक वर्षा आंकड़ें लखनऊ स्थित आईएमडी मौसम स्टेशन से लिया गया है, जो ग्राम पंचायत से ~56 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है


13 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

14 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

15 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगर




चित्र 2: करनपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990- 2021



चित्र 3: करनपुर में वार्षिक वर्षा, 1990- 2021

## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिससे लगभग 36 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद 22 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। शेष अन्य परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, आदि में संलग्न हैं।




चित्र 4: करनपुर में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत




प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों (33 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से कम है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (2 प्रतिशत) प्रति वर्ष ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में 14 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)<sup>16</sup> थे।

राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 90 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से 278 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड<sup>17</sup> है (चित्र 6 देखें)।




चित्र 5: करनपुर में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का विवरण



चित्र 6: करनपुर में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

क्षेत्र सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार करनपुर ग्राम पंचायत में कुल 256 महिलाएं संलग्न हैं। ये महिलाएँ अधिकतर गैर-कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई हैं। रोजगार के अन्य स्रोतों में कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, कला और हस्तशिल्प शामिल हैं। बहुत कम संख्या में महिलाएँ सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई हैं (चित्र 7 देखें)। पंचायत में 92 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं<sup>18</sup> जो ग्राम पंचायत में ~9 प्रतिशत घरों में निवास करती हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 14 स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें से केवल 5 सक्रिय हैं जो मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं।<sup>19</sup>



चित्र 7: करनपुर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी महिलाओं की संख्या

16 प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आदानों पर आधारित

17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDKjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>


18 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।

19 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसके अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक अनुबंध कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।


## कृषि

करनपुर में लगभग 36 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यह परिवार विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत कृषि से जुड़े हैं (चित्र 8 देखें)।

करनपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 150 हेक्टेयर<sup>20</sup> है जबकि सकल फसल क्षेत्र 300 हेक्टेयर है (चित्र 9 देखें)। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ़ फसल धान है (6,750 क्विंटल/वर्ष)। क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य रबी फसलें गेहूँ (6,435 क्विंटल/वर्ष) और सरसों (112 क्विंटल/वर्ष) हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत वर्षा जल, ट्यूबवेल और नहर का पानी है। ग्राम पंचायत में 20 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप, 75 डीज़ल पंपों और 1 सोलर पंप का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की लगभग 8 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। करनपुर में कुल पशुधन आबादी 1,855 (410 गाय, 345 भैंस, 100 सूअर और 1,000 बकरियां) है और साथ ही 20,000 मुर्गियां हैं।



चित्र 8: करनपुर में कृषि पर निर्भर परिवारों की संख्या



चित्र 9: करनपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार विवरण

## प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, करनपुर में लगभग 13 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि है। साथ ही 24 तालाब, 9 कुएं और 1 नदी (नैया नदी) है। तालाबों में एक तालाब अमृत सरोवर है जो पंचायत के निकट स्थित है। ग्राम पंचायत में 1 हेक्टेयर भूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत वनरोपण गतिविधियां की गई हैं। ग्राम पंचायत में कुल 4 बगीचे हैं।

20 ग्राम प्रधान के साथ हुई कई चर्चाओं के निष्कर्षों पर आधारित

## करनपुर में सुविधाएं

### बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: ~97 % परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन :~80% परिवार



### पेयजल

- ग्राम पंचायत के घरों के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय जलापूर्ति पानी का मुख्य स्रोत है - भूजल
- ग्राम पंचायत में स्थित 67 हैंडपंपों का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है<sup>21</sup>



### अपशिष्ट

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ है
- घरेलू शौचालय कवरेज: 70%<sup>22</sup>



### आवागमन और बाज़ार तक पहुंच<sup>23</sup>

- राष्ट्रीय हाईवे तक पहुंच - लखनऊ - प्रयागराज NH 24B
- रेलवे स्टेशन ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है
- बस स्टॉप ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है
- कृषि मंडी ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है
- ग्राम पंचायत में 3 बैंक है
- डाक घर (पोस्ट ऑफिस) ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है
- सरकारी राशन की दुकान ग्राम पंचायत के भीतर स्थित है



### शैक्षिक संस्थान

- प्राथमिक विद्यालय
- प्री-प्राइमरी विद्यालय
- निजी इंटर कॉलेज
- डिग्री कॉलेज

### स्वास्थ्य संस्थान

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 9 किलोमीटर
- आंगनवाड़ी केंद्र
- आयुष स्वास्थ्य केंद्र

21 पाइप द्वारा जलापूर्ति शुरू करने का कार्य जारी है


22 ग्राम प्रधान के साथ हुई कई चर्चाओं के निष्कर्षों पर आधारित

23 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में उल्लिखित है

**ग्रा**मीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, करनपुर ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 3,006 कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर में होने वाली गतिविधियों ने करनपुर ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>24</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों के उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटरके उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्र में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और पशु अपशिष्ट प्रबंधन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: वर्ष 2022 में करनपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

ग्राम पंचायत करनपुर में कृषि क्षेत्र का उत्सर्जन में कुल योगदान ~49 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~614 tCO<sub>2</sub>e) और धान की खेती (~510 tCO<sub>2</sub>e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 44 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, बिजली की खपत (559 tCO<sub>2</sub>e) प्रमुख उत्सर्जक है, इसके बाद आवासीय खाना पकाना (~453 tCO<sub>2</sub>e), परिवहन (~221 tCO<sub>2</sub>e) और डीजल पंप सेट (79 tCO<sub>2</sub>e) आते हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत (~220 tCO<sub>2</sub>e) है।



चित्र 11: 2022 में करनपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

24 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

### व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं
- 2018, 2020 और 2022 में जून और जुलाई के महीनों में कई बार सूखा पड़ा और जुलाई से अक्टूबर के महीनों में जलजमाव की समस्या हुई
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और **लागत अनुमानों**<sup>25</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत क्लाइमेट/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

### कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
3. सतत कृषि
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

25 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारीयां, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।



# 1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

## संदर्भ एवं मुद्दे

- करनपुर ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। हालाँकि, कई वर्षों से जलापूर्ति में कमी हो रही है और वर्तमान में यह पर्याप्त नहीं है।<sup>26</sup>
- ग्राम पंचायत के परिवार पानी के लिए आम तौर पर हैंडपंपों पर निर्भर करते हैं<sup>27</sup>। ग्राम पंचायत में लगभग 67 इंडिया मार्क वाले हैंडपंप हैं।
- ग्राम पंचायत में 24 तालाब और 9 कुएं हैं।<sup>28</sup> हालाँकि, इन जल निकाय और कुओं का पर्याप्त रखरखाव नहीं होता है और ये गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भरे पड़े हैं। 8 तालाबों में मछली पालन किया जाता है।
- 2018, 2020 और 2022 में जून/जुलाई में सूखा पड़ा।
- करनपुर में विशेष रूप से बारिश के मौसम में, जलभराव एक मुख्य समस्या है - जुलाई से अक्टूबर। जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों के अप्रभावी और उनके खराब रखरखाव के कारण यह समस्या और भी गंभीर बन जाती है।
- करनपुर आम तौर पर सिंचाई के लिए भूजल और बारिश पर निर्भर रहता है और निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से खेती संबंधी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है।

भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं। करनपुर में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन विकसित करने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

26 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

27 ग्राम पंचायत के लिए पाइप से जलापूर्ति संबंधी आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं

28 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार



## जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का जीर्णोद्धार</li> <li>हैंडपंपों की रिबोरिंग एवं मरम्मत</li> <li>जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण</li> <li>मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना पुस्तिका<sup>29</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाना</li> <li>ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अद्यतन करना और उपलब्ध पानी का उचित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>जल निकायों का नियमित रखरखाव</li> <li>समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य</li> </ol>	जल निकायों का नियमित रखरखाव
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 तालाबों की सफाई एवं गाद निकालने का कार्य<sup>30</sup></li> <li>4 कुओं की सफाई</li> <li>20 हैंडपंपों की रिबोरिंग</li> <li>ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जल निकायों का रखरखाव कार्य (3 तालाब और 4 कुएं)</li> <li>जल निकायों के आसपास अतिरिक्त ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण</li> </ol>

29 <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdfh>

30 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



## अनुमानित लागत

1. तालाबों की सफ़ाई और गाद निकालने का कार्य ₹21,00,000
2. कुओं की सफ़ाई: ₹28,00,000
3. हैंडपंपों की रीबोरिंग: ₹10,00,000
4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000

कुल लागत: ₹46,50,000

1. जल निकायों का रखरखाव: ₹24,50,000
2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000

कुल लागत: ₹37,20,000

जल निकायों का रखरखाव: ₹24,50,000  
कुल लागत: ₹24,50,000



## जल निकासी और नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण

### चरण

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नई नालियों का निर्माण
2. जलभराव से बचाव के लिए मौजूदा नालियों की सफ़ाई, गाद निकालने और मरम्मत का कार्य
3. दूषित पानी के शुद्धिकरण के आवश्यकता आंकलन के आधार पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डिवाट्स)<sup>31</sup> का निर्माण कार्य

मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

1. लगभग 1 किलोमीटर लंबी नाली<sup>32</sup> का निर्माण कार्य
2. मौजूदा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी नालियों की सफ़ाई और उनमें से गाद निकालने का कार्य

ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

### लक्ष्य

3. 0.70 एमएलडी क्षमता वाले डिवाट्स का निर्माण कार्य

<sup>31</sup> स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

<sup>32</sup> स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>नई नालियों के निर्माण की लागत: ₹54,16,000</li> <li>मौजूदा नालियों की सफ़ाई और उनमें से गाद निकालना: ₹15,80,000</li> <li>डिवाट्स/ऑक्सीडेशन तालाब: 40 लाख रुपए</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1,09,96,000</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
--	--------------------	--------------------



## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

### लक्ष्य

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत में स्थित सरकारी/पंचायत भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,000 - 2,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में 6 वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना – भंडारण क्षमता 10 m<sup>3</sup> के पुनर्भरण गड्ढों (रिचार्ज पिट) की स्थापना।</li> <li>65 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई का कार्य<sup>33</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 पक्के घरों में 10 m<sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना। ग्राम पंचायत में बड़े घरों को पहले लक्षित किया जाएगा</li> <li>आवश्यकता के अनुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) की खुदाई का कार्य</li> </ol>	<p>345 पक्के घरों में 10 m<sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना</p>

33 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

<p>1. वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹2,10,000</p> <p>2. पुनर्भरण गड्डे: ₹22,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹24,85,000</p>	<p>1. वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹10,50,000</p> <p>2. पुनर्भरण गड्डे: आवश्यकता के अनुसार</p> <p>कुल लागत: ₹10,50,000</p>	<p>वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹1,20,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹1,20,75,000</p>
--	---	---

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य के वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लाभ उठाया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सोखता गड्डों के निर्माण द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन के विचार को जल शक्ति अभियान के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है: सुजलम 2.0 अभियान

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित आरओ जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत वाटरशेड विकास निधि द्वारा वाटरशेड विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



## 2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है और सीमित हरित क्षेत्र हैं।
- ग्राम पंचायत में 1 हेक्टेयर भूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत वनरोपण गतिविधियाँ की गई हैं। मुख्य रूप से आम, अमरूद, आमला और सागौन के पेड़ों का रोपण किया गया है।

करनपुर ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है। यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



### हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
1. विभिन्न प्रयासों/पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित <sup>34</sup> वृक्षारोपण गतिविधियाँ:	1. मौजूदा वृक्षारोपण को संरक्षित रखना	1. वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव करना	1. वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव करना
» छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b> <sup>35</sup> (5 छात्र चयनित)	2. <b>बाल वन</b> <sup>36</sup> के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना	2. कृषि-वानिकी पहल के तहत ~30 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 20%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना करना	2. कृषि-वानिकी पहल के तहत ~30 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 20%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना करना
» देशी फलों के पेड़ लगाकर <b>खाद्य वन</b> का निर्माण	3. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना	3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना	3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना
	4. <b>आरोग्य वन</b> की स्थापना करना		

34 अनुलग्नक VI में वृक्षों की सूची है

35 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

36 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

2. **आरोग्य वन** का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण<sup>37</sup>

1. आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को ट्री गार्ड के उपयोग से जीवित रखना सुनिश्चित करना।  
रोपित पौधों<sup>38</sup> द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 tCO<sub>2</sub> से 10,000 tCO<sub>2</sub> होना अनुमानित

2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000  
कुल लागत: ₹12,70,000

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 9,800 tCO<sub>2</sub> से 17,500 tCO<sub>2</sub> होना अनुमानित

2. 15 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी<sup>39</sup> को अपनाया जाना (10% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त), 1,500 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य 20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 8,400 tCO<sub>2</sub> से 15,000 tCO<sub>2</sub> होना अनुमानित

3. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव

4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता विकास

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000  
2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: ₹6,00,000  
कुल लागत: ₹25,05,000 से ₹26,00,000

1. पंचायत में अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य।  
रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 9,800 tCO<sub>2</sub> से 17,500 t CO<sub>2</sub> होना अनुमानित

2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी ~15 हेक्टेयर भूमि में कृषि-वानिकी को अपनाया जाना और 1,500 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य।  
20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 8,400 tCO<sub>2</sub> से 15,000 tCO<sub>2</sub> होना अनुमानित

3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000  
2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: ₹6,00,000  
कुल लागत: ₹25,05,000 से ₹26,00,000

37 उपयुक्त पौधों के नाम संलग्नक VI में उल्लिखित हैं

38 सागवान/सागौन की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया है

39 गेहूं (~30 हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना गया है



## नर्सरी का निर्माण

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	नई नर्सरी का निर्माण और 5 स्वयं सहायता समूहों का योगदान प्राप्त करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	एक बागवानी नर्सरी स्थापित करना जिससे हरित क्षेत्र में सुधार हो सके और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिल सके	एक नर्सरी का रखरखाव	एक नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी की स्थापना की लागत <sup>40</sup> : ₹2,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



## जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना</li> <li>लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मजबूत करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मजबूत करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

40 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उप्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाया जा सकता है
  - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

<sup>41</sup> जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>



## 3. सतत कृषि

### संदर्भ एवं मुद्दे

- करनपुर में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ~150 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 300 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 36 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (143 हेक्टेयर), धान (150 हेक्टेयर) और सरसों (7 हेक्टेयर) हैं।
- ओलावृष्टि और गर्मी के मौसम की जल्द शुरुआत होने के कारण रबी फसलों की उपज में कमी आई है। साथ ही, असामयिक बारिश के कारण ज़ायद फसलों की उपज में भी कमी आई है।<sup>42</sup>
- करनपुर में मौसम की अवधि, वर्षा चक्र में बदलाव हुए हैं और हाल ही में सूखा भी पड़ा है; इस ग्राम पंचायत ने 2018, 2020 और 2022 के जून/जुलाई के महीनों में सूखे का अनुभव किया।<sup>43</sup>
- बारिश के मौसम में देरी के कारण धान की बुआई का समय जून/जुलाई के शुरूआती सप्ताहों से जुलाई के आखिरी सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है। इसी प्रकार, सर्दी में देरी के कारण गेहूँ की बुआई का समय अक्टूबर/नवंबर से दिसंबर में स्थानांतरित हो गया है।
- वर्ष 2020 से 2022 तक अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी के मौसम और बीमारियों के कारण किसानों को फसल की हानि हुई है। इस नुकसान से धान की उपज का लगभग 3,628 क्विंटल बर्बाद हो गया जो कि धनराशि में लगभग ₹74,11,200 (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) था।
- शीत लहर से पशुधन के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 20-30 बकरियां शीत लहर के प्रकोप से मारी जाती हैं।
- करनपुर में किसान प्रति वर्ष ~181 टन यूरिया, ~65 टन डीएपी और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष 306.91 tCO<sub>2</sub>e<sup>44</sup> का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- करनपुर में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- कृषि संबंधी परामर्श और मौसम की जानकारी/सावधानियाँ/चेतावनी व्यवस्थाओं के अभाव से यह समुदाय तीव्र मौसमी आपदाओं का आसानी से शिकार बन जाता है।<sup>45</sup>
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिस कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

42 एचआरवीसीए के अनुसार

43 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

45 क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार





## जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> <li>खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण</li> <li>फसल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए धान की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और ड्राइ डाइरेक्ट सीडेड राइस को अपनाना</li> <li>गेहूं की सूखा सहन करने वाली किस्म को अपनाना</li> <li>जहां संभव हो कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना</li> <li>किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना</li> <li>खेतों में चयनित स्थानों में ऑटोमैटिक मिनी मौसम स्टेशन स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार करना</li> <li>अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फसलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फसलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>वर्तमान मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव करना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>75 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण (कुल कृषि क्षेत्र का 50%)</li> <li>7 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों के अंतर्गत कृषि भूमि)</li> <li>यथासंभव और आवश्यकतानुसार 300 m<sup>3</sup> क्षमता के 5 कृषि तालाबों का निर्माण करना</li> <li>ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान में 1 मिनी मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>संपूर्ण कृषि भूमि यानी 150 हेक्टेयर में मेड़बंधी वाले पेड़ लगाना</li> <li>आवश्यकता के अनुसार 10 कृषि तालाबों का निर्माण करना</li> </ol>	<p>मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव करना</p>

## अनुमानित लागत

1. मेड़बंधी: ₹91,856
  2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹7,00,000
  3. कृषि तालाब: ₹ 4,50,000
  4. 1 मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की लागत: ₹1,50,000
- कुल लागत: ₹13,91,856

1. मेड़बंधी: ₹91,856
  2. कृषि तालाब: ₹9,00,000
- कुल लागत: ₹9,91,865

आवश्यकतानुसार



## प्राकृतिक खेती अपनाना

### चरण

2024-25 से 2026-27

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
  - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
  - » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास
  - » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
  - » बाज़ार संपर्कों का पता लगाया जाना
2. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्लिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि की प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाज़ार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में कार्यान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना



2030-31 से 2034-35

100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

23 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

38 हेक्टेयर (40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

शेष 90 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

### लक्ष्य

<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</p> <p>2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹55,59,750</p> <p>कुल लागत: ₹56,19,750</p>	<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</p> <p>2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹92,66,250</p> <p>कुल लागत: ₹94,26,250</p>	<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</p> <p>2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,22,39,000</p> <p>कुल लागत: ₹2,22,99,000</p>
--	--	--



## सतत पशुधन प्रबंधन

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<p>1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में संलग्न परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना</p> <p>2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण प्रदान करना</p> <p>3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।</p>	<p>1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</p> <p>2. आवश्यकता के अनुसार रखरखाव और मरम्मत</p>	<p>1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</p> <p>2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</p>
लक्ष्य	<p>1. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए सतत पालन क्रियाओं/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना</p> <p>2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण</p>	<p>1. रोग की रोकथाम और सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</p> <p>2. पशुधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</p>	<p>1. रोग की रोकथाम और /सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</p> <p>2. पशुधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</p>
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफ़िंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए
- कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाज़ार लिकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः प्राकृतिक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही, करनपुर में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, रायबरेली



## 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में<sup>46</sup> सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा लगभग 424 किलोग्राम प्रति दिन है। इसमें से 246 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और 178 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है।
- करनपुर में कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार व्यवस्था का अभाव है जिससे कचरा जल निकायों में और खुली भूमि में इकट्ठा हो जाता है<sup>47</sup>। इस कारण जल निकायों में प्रदूषण और बारिश के मौसम में नालियों के भरे रहने से जलभराव की समस्या होती है जिससे बीमारियां फैलती हैं।
- ग्राम पंचायत में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाते हैं।
- ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,855 है (गाय, भैंस और बकरियां)<sup>48</sup> और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 9.6 टन प्रति दिन है जिसे कम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~70 प्रतिशत है। क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

46 अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध IV देखें

47 विचार सभा और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों और ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों पर आधारित

48 माना जा रहा है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो, सूअर प्रति दिन 2 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है।



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

### लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना</li> <li>2. घरों से ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन</li> <li>3. चयनित स्थानों (बाज़ार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना</li> <li>4. कचरे के संग्रहण/परिवहन के लिए सफाई कर्मी उपलब्ध कराना</li> <li>5. पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>2. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना।</li> <li>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>2. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव</li> <li>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन</li> <li>2. ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 1,007 घर (100%) सम्मिलित</li> <li>3. चयनित स्थानों पर कचरा संग्रहण हेतु 80 कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>4. कचरे के संग्रहण/परिवहन के लिए 2 सफाई कर्मी उपलब्ध कराना</li> </ol>	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000</li> <li>80 कूड़ेदान/कंटेनर<sup>49</sup> : ₹4,00,000</li> <li>2 सफाई कर्मी: 1,20,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹6,25,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<b>सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नाडेप/वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. कम्पोस्ट वैल्यू चेन की स्थापना के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव</li> <li>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव</li> <li>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
<b>लक्ष्य</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 45 नाडेप और 50 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> <li>» खाद का उत्पादन एवं विक्रय</li> <li>» कृषि अपशिष्ट की बिक्री</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम्पोस्ट गड्ढों का रखरखाव</li> <li>2. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम्पोस्ट गड्ढों का रखरखाव</li> <li>2. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>
<b>अनुमानित लागत</b>	<p>45 नाडेप और 50 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों की लागत<sup>50</sup>: ₹9,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹9,50,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

49 विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

50 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



## बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जुलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>घरेलू शौचालय कवरेज बढ़ाना</li> <li>समुदाय के दिव्यांग सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण<sup>51</sup></li> <li>सभी नए भवनों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष घरों में शौचालयों की स्थापना</li> <li>सभी नए भवनों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव</li> <li>सभी नए भवनों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>150 घरों में दो गड्डों वाले शौचालयों का निर्माण (शौचालय रहित घरों का 50%)</li> <li>समुदाय के दिव्यांग सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण</li> </ol>	शेष 150 घरों में दो गड्डों वाले शौचालयों का निर्माण	
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>दो गड्डों वाले शौचालयों की लागत<sup>52</sup>: ₹18,00,000</li> <li>समुदाय के अपाहिज (दिव्यांग) सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण<sup>53</sup>: ₹8,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹26,00,000	दो गड्डों वाले शौचालयों की लागत: ₹18,00,000 कुल लागत: ₹18,00,000	

51 विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

52 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

53 एचआरवीसीए के अनुसार लागत





## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)</li> <li>छात्र एवं युवा समूह</li> <li>समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान</li> </ul> </li> <li>प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध</li> <li>प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना</li> <li>निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में भागीदारी को बढ़ाना: <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 200 महिलाएं</li> <li>अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी</li> </ul> </li> </ol>

## मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम


- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



## 5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>54</sup>

- ग्राम पंचायत करनपुर ने 2022-23 में लगभग 6,81,403 इकाई बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में 97 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24x7 नहीं है। प्रतिदिन औसतन 6-7 घंटे बिजली की कटौती होती है।
- ग्राम पंचायत में तीन आटा चक्कियाँ हैं जिनमें से एक ऊर्जा स्रोत के रूप में डीज़ल जनरेटर का उपयोग करती है और जिसकी वार्षिक डीज़ल की खपत लगभग 5 किलो लीटर (450 लीटर प्रति माह) है।
- साथ ही कुल 75 डीज़ल पंप हैं जो वार्षिक ~29 किलो लीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकंडेसेंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत फिक्सचर और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता व्यक्त की है।
- 503 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और लकड़ी का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में, रसोई में प्रयोग के लिए स्वच्छ ईंधन समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिस कारण सतत स्थान शीतलन समाधानों की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की ऊर्जा संबंधी समस्याओं आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 जैसे अन्य योजनाओं को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियाँ करनपुर में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी

54 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर



## सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण  
दुझाई गई जलवायु स्मार्ट  
संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना <sup>55</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना</li> <li>सभी पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना</li> <li>शेष पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना</li> </ol>
	<p>निम्न सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» पंचायत भवन (135 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 5 kWp</li> <li>» प्राथमिक विद्यालय (450 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 7 kWp</li> <li>» पूर्व प्राथमिक विद्यालय 10 kWp</li> <li>» लघु सचिवालय (56 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 3 kWp</li> <li>» आयुष केंद्र (180 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 5 kWp</li> <li>» आंगनवाड़ी केंद्र (45 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 3 kWp</li> <li>» संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र: 371 वर्ग फुट छत क्षेत्र): 7 kWp</li> </ul> <p>कुल स्थापित किए जाने वाले सोलर रूफटॉप क्षमता: 31 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 44,193.6 kWh प्रति वर्ष (~121 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 36 tCO<sub>2</sub>e</p>	<p>365 (40%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना<sup>56</sup> स्थापित किए जाने वाले सोलर रूफटॉप की क्षमता: 1,096 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 14,67,228 kWh<sup>57</sup> प्रति वर्ष (4,020 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 1,203 tCO<sub>2</sub>e</p>	<p>शेष 548 (100%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना स्थापित किए जाने वाले सोलर रूफटॉप की क्षमता: 1,643 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~22,00,841 kWh प्रति वर्ष<sup>58</sup> (6,030 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी<sup>59</sup>: प्रति वर्ष लगभग 1,805 tCO<sub>2</sub>e</p>
लक्ष्य			

55 सभी सरकारी भवनों में सोलर स्थापना की अधिकतम सीमा 10kWh

56 प्रति घर अनुमानित 3 किलोवाट रूफटॉप की स्थापना

57 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न उद्देश्यों से होने वाली वर्तमान बिजली खपत से दुगुनी है।

58 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न उद्देश्यों से होने वाली वर्तमान बिजली खपत से तीन गुना अधिक है।

59 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रालिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा।

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹16,50,000 (₹50,000 /kWp)	कुल लागत: ₹5,47,80,000 सांकेतिक सब्सिडी <sup>60</sup> : ~40% (राज्य + केन्द्र) प्रभावी लागत: ₹3,28,68,000	कुल लागत: ₹8,21,70,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केन्द्र) प्रभावी लागत: ₹4,93,02,000



## कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसान, किसान समूहों आदि के लिए-फोटोवोल्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियां वाली फसलों के अंतर्गत) के एक भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियां वाली फसलों के अंतर्गत) के एक भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना
लक्ष्य	किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ <sup>61</sup>	कुल लागत: ₹5 करोड़

60 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

61 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है



## सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>वर्तमान 75 डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना<sup>62</sup> *</p> <p>*यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना</li> <li>नए सौर पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े शेष विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना</li> <li>नए सौर पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol>
लक्ष्य	<p>स्थापित सौर पंप सेटों की क्षमता: 412.5 kW</p> <p>सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 5,52,420 kWh प्रति वर्ष (1,513 इकाई प्रति दिन)</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: 81,900 लीटर/वर्ष</p> <p>ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 79 tCO<sub>2</sub>e</p>	<p>ग्राम पंचायत में 20 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना</p>	<p>चरण II की गतिविधियाँ जारी हैं</p>
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹2,25,00,000 से ₹3,75,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सोलर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + केन्द्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹90 लाख से ₹1.5 करोड़</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>

62 माना जा रहा है कि एक डीज़ल पंप की क्षमता 7.5 एचपी है



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>
	<p>परिदृश्य 1: 23 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% घर जिनके पास मवेशी हैं) + 985 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 6 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 1,001 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 6 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 70 घर उन्नत चूल्हों का उपयोग (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 942 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 23 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% घर) + 962 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 6 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 995 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 6 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) का उपयोग + अतिरिक्त 60 घर उन्नत चूल्हे का उपयोग (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 876 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 45 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% घरों में मवेशी हैं) + 917 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 12 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 983 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: अतिरिक्त 12 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) का उपयोग + 119 घर पहले से ही उन्नत चूल्हे का उपयोग (जैसा कि चरण II में है) + 745 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग</p>
	लक्ष्य		

<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹11,25,000 (2 से 3 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए 2,70,000 रुपए (1 डबल बर्नर सौर कुकस्टोव (बिना बैटरी ) के लिए 45,000 रुपए)</p> <p>परिदृश्य 3: ₹2,70,000 + ₹1,78,500 (3,000 रुपए में 1 उन्नत चूल्हा)</p> <p>औसत कुल लागत: ₹6,14,500</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹11,25,000</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹2,70,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹2,70,000 + ₹1,78,500</p> <p>औसत कुल लागत: ₹6,14,500</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹22,50,000</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹5,40,000</p> <p>परिदृश्य 3: ₹5,40,000 + ₹3,57,000</p> <p>औसत कुल लागत: ₹12,29,000</p>
--	--	---



## ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>1. सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</p> <p>2. सभी घरों में कम से कम 1 इनकैंडेसेंट/ सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना अथवा 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना</p> <p>3. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</p>	<p>1. घरों में सभी इंकैंडेसेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना</p> <p>2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना</p> <p>3. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</p>	<p>सभी घरों में समस्त पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना</p>	



## लक्ष्य

1. सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना
2. 1,007 मौजूदा सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना (प्रति घर में 1 बल्ब) और 1,007 ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना (प्रति घर में 1 ट्यूब लाइट)

1. 1,007 घरों में अतिरिक्त 2,014 सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना (प्रति घर में 2 बल्ब) और 2,014 ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना (प्रति घर में 1 ट्यूब लाइट)
2. 1,007 घरों में ऊर्जा कुशल पंखे लगाए जाना (प्रति घर में 1 पंखा)

1,007 घरों में 2,014 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए जाना (प्रति घर में 2 पंखे)

## अनुमानित लागत

एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,21,540  
एलईडी बल्ब की लागत: ₹70,490  
कुल लागत: ₹2,92,030

एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹4,43,080  
एलईडी बल्ब की लागत: ₹4,43,080  
ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹11,17,770  
कुल लागत: ₹20,03,930

ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹22,35,540  
कुल लागत: ₹22,35,540



## सौर स्ट्रीट लाइट

### चरण

2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

सड़कों के किनारों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

### लक्ष्य

1. ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार सड़कों और रास्तों के किनारे 75 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना<sup>63</sup>
2. प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जल निकाय) पर 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना
2. सड़कों और रास्तों के किनारे 75 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

63 ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए आदानों के अनुसार

एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹7,50,000	एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹74,50,000	लागत: आवश्यकता के अनुसार
हाई मास्ट की लागत: ₹5,00,000	कुल लागत: ₹74,50,000	
कुल लागत: ₹12,50,000		

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>64</sup> के अनुसार:
  - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/kWp से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक
  - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को<sup>65</sup> मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - » 3 kWp क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी। 3 kWp से अधिक और 10 kWp तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) केवल पहले 3 kWp क्षमता के लिए लागू होगा और 3 kWp से ऊपर (10 kWp तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
  - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए प्रति घर क्षमता योग्यता 10 kWp तक सीमित होगी और कुल 500 kWp से अधिक नहीं होगी।
  - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है<sup>66</sup>।
- प्रधान मंत्री कुसुम योजना के अनुसार:
  - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 kWp और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
  - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किश्तों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
  - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलरइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - » घटक सी-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलरइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है

64 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar\\_Pradesh\\_Solar\\_Energy\\_Policy\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf)

65 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

66 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं<sup>67</sup>:
  - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना<sup>68</sup> :
  - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
    - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से योजना लागू कर रहा है।
  - » प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>69</sup>। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाज़ार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
  - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है<sup>70</sup>।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>71</sup> सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
  - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
  - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन है<sup>72</sup>

67 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

68 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण किया गया (फरवरी 2023), पीआईबी।

69 यानी कि कृषि स्तर पर प्री-कूलिंग, वज़न, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

70 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

71 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

72 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना
  - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



## 6. सतत और उन्नत गतिशीलता

### संदर्भ एवं मुद्दे

- करनपुर में कुल 413 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 380 दोपहिया वाहन, 13 कारें, 3 जीप, 5 टाटा मैजिक, 1 हार्वेस्टर और 17 ट्रैक्टर। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में 5 ई-रिक्शा हैं<sup>73</sup>।
- आईसीई वाहन द्वारा कुल ईंधन खपत इस प्रकार है: प्रति वर्ष ~60 किलो लीटर डीज़ल और प्रति वर्ष ~42 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से ~221 tCO<sub>2</sub> से अधिक का उत्सर्जन हुआ है<sup>74</sup>।
- क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्राम पंचायत के भीतर की कई सड़कों में जलभराव की समस्या होती है जिस कारण इनकी ऊंचाई बढ़ाने और इनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है।

इस कारण, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों को अपनाए जाने की पहल की संभावना है।

### मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>फुटपाथ का निर्माण और मौजूदा फुटपाथों की मरम्मत</li> <li>ग्राम पंचायत के भीतर के सड़कों का उन्नयन</li> <li>सड़कों के लिए इंटरलॉकिंग कार्य</li> </ol>	आवश्यकता के अनुसार सड़कों की बुनियादी ढांचों का रखरखाव और मरम्मत	आवश्यकता के अनुसार सड़कों की बुनियादी ढांचों का रखरखाव और मरम्मत

73 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

74 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों पर आधारित

## लक्ष्य

1. फुटपाथ का निर्माण और मौजूदा 2.6 किलोमीटर लंबे फुटपाथ की मरम्मत
2. 0.5 किलोमीटर फुटपाथ का निर्माण
3. 1 किलोमीटर सड़क के लिए इंटरलॉकिंग कार्य

सड़कों का नियमित रखरखाव/ मरम्मत

सड़कों का नियमित रखरखाव/ मरम्मत

## अनुमानित लागत

1. नए फुटपाथ के निर्माण और मौजूदा फुटपाथ की मरम्मत की लागत: ₹34,50,000
  2. नए फुटपाथ का निर्माण: ₹9,10,000
  3. सड़कों के लिए इंटरलॉकिंग कार्य: ₹62,10,000
- कुल लागत: ₹1,05,70,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

## चरण

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

1. डीज़ल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना
2. आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना
3. ई-ट्रैक्टरों और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना (आजीविका बढ़ाने वाले अनुभाग में वर्णित)

II

2027-28 से 2029-30

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

III

2030-31 से 2034-35

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

<b>लक्ष्य</b>	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहकों का क्रय-विक्रय जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर का क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर का क्रय किया जाना
<b>अनुमानित लागत</b>	5 ई-ट्रेक्टरों की कुल लागत ~₹30,00,000 5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,000 – ₹50,00,000 कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<b>सृजार्ई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधिया</b>	पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्षा का क्रय किया जाना	पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्षा का क्रय किया जाना	मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदे जा सकते हैं
<b>लक्ष्य</b>	ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में 10 ई-ऑटोरिक्षों को जोड़ा जाना	ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में 10 ई-ऑटोरिक्षों को जोड़ा जाना	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदना
<b>अनुमानित लागत</b>	एक ई-ऑटोरिक्षा की लागत <sup>5</sup> : लगभग ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 10 ई-ऑटोरिक्षा के लिए प्रभावी लागत: ₹28,80,000	10 ई-ऑटोरिक्षा के लिए प्रभावी लागत: ₹28,80,000	आवश्यकता के अनुसार

75 ई-ऑटोरिक्षा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्षा की कीमत प्राइस बैंड के निचले स्तर पर माना जा रहा है

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के समर्थन से सड़क की अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 के अनुसार
  - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारी को शुरूआती प्रोत्साहन<sup>76</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-कारखाना लागत का @10%; 2-वीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹ 5000 तक पूर्व-कारखाना लागत का @15%; 3-वीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन 12000 रुपए तक पूर्व-कारखाना लागत का @15%
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (फेम-इंडिया चरण योजना II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है

## वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

## प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी

76 सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।





## 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

कृषि और पशुपालन इस ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं और 43 प्रतिशत परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अनिश्चितता है, जिनका कारण विशेष रूप से बारंबार होने वाले सूखे की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान में कृषि और पशुपालन में की जाने वाली अरक्षणीय प्रथाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में फंसा हुआ है। ग्राम पंचायत में दिहाड़ी मजदूरी (गैर कृषि) संबंधी कार्य और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें अन्य मुख्य आय के स्रोत हैं। पिछले 5 वर्षों में 100 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित संस्तुतियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं, जिनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

### सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण हेतु महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना।
2. निम्न हेतु क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

#### निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- 100 महिलाएँ
- 4 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में सिलाई और सामुदायिक शौचालय रखरखाव गतिविधियों में शामिल)
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

#### इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



## जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
  - » खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
  - » घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित खाद/केंचुआ खाद: 246 किग्रा प्रतिदिन; 7,380 किग्रा प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
  - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
  - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
  - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**

अतिरिक्त 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक  
(ध्यान दें: यह माना जा रहा है कि करनपुर में 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत प्रायः ₹6 लाख है)



## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मेट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)

(लगभग 32 प्रतिशत परिवार पशुपालन और डेयरी से जुड़े हैं)

लागत: ₹8 से ₹15 लाख



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन स्थापित किया जाना



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाओं से सहायता

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं
- सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाना जैसे: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम और मेक इन इंडिया

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 77,78,79

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

77 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

78 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

79 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>80</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>81</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

## 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>82</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

80 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

81 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

82 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>83,84</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई।
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>85</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>86</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>87</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

83 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

84 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

85 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

86 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspcc>

87 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>



## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>88</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में<sup>89</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

88 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

89 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>90</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>91</sup>

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

<sup>90</sup> <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

<sup>91</sup> <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>92</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:




आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>93</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

92 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

93 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>94</sup>
क. जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul>
ख. जल निकासी और नालों बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण 		<b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 		<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
		<b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul>
		<b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>




94 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul>
<p>ख. नर्सरी का निर्माण</p> 		
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 		



## सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>95</sup>
<p>क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि<sup>96</sup></li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul> <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ख. प्राकृतिक खेती अपनाना</p> 		
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		




<sup>95</sup> प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

<sup>96</sup> पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम हुआ</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul>
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 		<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>








# स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण से राहत</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट</li> <li>पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 		
<p>ङ. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		





## सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul>
<p>ख. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने हेतु बढ़ावा देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 		   

# आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ</li> <li>कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>5 GENDER EQUALITY</b></p> 
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&amp;M)</p> 		<p><b>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</b></p> 
		<p><b>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</b></p> 
		<p><b>13 CLIMATE ACTION</b></p> 

**का**र्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से करनपुर के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। करनपुर के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर करनपुर को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, करनपुर जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही करनपुर को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>97</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

करनपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>98</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

97 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

98 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » करनपुर ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : करनपुर

विकासखण्ड : बछरावां

जनपद : रायबरेली

### I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत— समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	7
3	a कुल जनसंख्या	5297
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	2751
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2546
	d विकलांगजन की जनसंख्या	32
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	413
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	263
4	कुल परिवार की संख्या	972
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	140
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	322.5 हेक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	85%
7 a	पक्का घरों की संख्या	881
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	91 (मिट्टी, टीन, अबेसट्स, छप्पर, खर-पतवार)





## II. सामाजिक आर्थिक


8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	428	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	25	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	122	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	200	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	65	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	35	
	कुटीर उद्योग	115	
	कृषि	428	
	कला/हस्तकला	40	
	पशुपालन	90	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	100	
	व्यवसाय/उद्यम	56	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	261	
	अन्य	70	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	0	
	निकट के शहर	28	आजीविका एवं बच्चों की उचित शिक्षा हेतु।
	राज्य के प्रमुख शहर	35	आजीविका हेतु।
	देश के प्रमुख महानगर	70	आजीविका हेतु।
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	18 बिरला सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए।
---	--	---

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	92
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	110
	किराए की भूमि/हुण्डा	Nil
	अनुबंध खेती	Nil
	दिहाड़ी मजदूर	75
	अन्य व्यवस्था	Nil
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलाएं स्वयं के खेतों में कार्य करती हैं
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	5
	कुटीर उद्योग	22
	कृषि	56
	कला/हस्तकला	15
	पशुपालन	43
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	7
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	80
	अन्य	28 महिलाएं सिलाई का काम कर रही।







12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	आरती महिला स्वयं सहायता समूह	11	राशन वितरण ई-रिक्शा	14300	हाँ
2	पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह	11	राशन वितरण	14300	हाँ
3	शिव शक्ती महिला स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन, परचून की दुकान	12000	हाँ
4	माँ संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह	11	बकरी पालन, सिलाई का काम	14300	हाँ
5	शिव जी महिला स्वयं सहायता समूह	11	बकरी पालन, सिलाई का काम	14300	हाँ
6	ताज महिला स्वयं सहायता समूह	10	सिलाई का काम	12000	हाँ
7	मुस्कान महिला स्वयं सहायता समूह	10	परचून की दुकान	12000	हाँ
8	सन्देश महिला स्वयं सहायता समूह	13	बकरी पालन, परचून की दुकान	15600	हाँ
9	लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन	12000	हाँ
10	अजमेरी महिला स्वयं सहायता समूह	10	भूसा की दुकान	12000	हाँ
11	मन्नो महिला स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन	12000	हाँ
12	कलिका महिला स्वयं सहायता समूह	10	परचून की दुकान	12000	हाँ
13	इशिता महिला स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन, सिलाई का काम	12000	हाँ
14	बरखा महिला स्वयं सहायता समूह	10	सिलाई का काम	12000	हाँ
15	करिश्मा महिला स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन	12000	हाँ

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र	





		महिला हैं?	संख्या			
	NIL	<input type="checkbox"/>				

14 अन्य समुदाय आधारित संगठन /						
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil	<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं							
	A	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	572	130	1435000	0	तालाब, नाली, मिट्टी का कार्य, बाउंड्री वाल, चक मार्ग, खडंजा।
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	886	886			प्रत्येक माह 5-35 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है
		प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	280	280			लाभार्थियों को गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर प्राप्त हुआ।
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना					
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	01	01			2 HP सोलर पम्प
	B	अन्य योजनाएं					
		ग्राम उज्ज्वला योजना	Nil				
		ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
		प्रधानमंत्री आवास योजना	19	18	2160000/-		लाभार्थी का आवास बन रहा है
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	886				प्रत्येक माह 5-35 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25				
		उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	15				



	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil				
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nil				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	243				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	113				
	किसान क्रेडिट कार्ड	368				
	स्वच्छ भारत मिशन	575	575		6900000	लाभार्थियों के यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ है।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1			PM कुसुम योजना अंतर्गत एक सोलर पम्प प्राप्त है।
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil				
	गोवर्धन योजना	Nil				
	जल पुनर्भरण योजना	Nil				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	Nil				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Nil				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	Nil				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	2850
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	650

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/कय केन्द्र का उपयोग	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं)	उत्पादित फसल(कु0	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
---	--	--	---	------------------	----------------------	--





		होता है		किया जाता			
		हां	नहीं				
	बछरावां	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		धान	3600 कु07344000	9 KM
	बछरावां	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		गेहूँ	1700 कु03612500	9 KM
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)						
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
A	प्राथमिक विद्यालय	260	176	8	अन्य विद्यालय में भी नामांकन था	
B	जू0 हाई स्कूल	125	159	0		
C	हाई स्कूल					
D	अन्य संस्थान					



20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
1	टाटा स्ट्राइव	120	निजी	60	24

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	NH-24 B लखनऊ –प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	ग्राम पंचायत में ही स्थित है	अच्छा

### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Nil
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण	
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	45 एकड़
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	38 एकड़





C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन-(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3			
	अतिरिक्त सूचनाएं			

24	जल निकाय क्षेत्र	हां	नहीं
	विवरण		
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	4	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	15-20 वर्षों से	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ	

25	जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/ झील-(4) अन्य- (5)	भूमिगत जल-(3)
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3)	हैण्डपम्प (5)





	महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	0
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	NA
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	NA
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A))
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	भूमिगत जल बारहमासी उपलब्ध है, परन्तु गर्मी के मौसम में प्रवाह कम हो जाता है, नहर का पानी वर्ष में 5 महीने उपलब्ध रहता है।
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर कम।
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त है परन्तु कृषि आदि हेतु अपर्याप्त है। नहर में हमेशा पानी पानी नहीं रहता। विगत वर्षों में भूजल, नदी और नहर, से जल की उपलब्धता घटी है। —





#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया			
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	30 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी के दिनों की संख्या के साथ- साथ तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, पहले बिना पंखे कूलर इत्यादि के भी आसानी से रहा जा सकता था लेकिन अब बहुत मुस्किल हो गया है।		
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	25-30 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	कम दिनों में ही बहुत अधिक ठण्ड पड़ जाती है कोहरे के दिन भी कम हो गए हैं।		
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया			
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	20-25 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	वर्षा बहुत देर से होती है और कुछ दिन में ही अधिक वर्षा हो जा रही।		
29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	7-8 दिन		
D	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





<b>E</b>	दिनों की संख्या	4-5 दिन
<b>F</b>	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	





### चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/> ✓	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/> ✓	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/> ✓
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून –जुलाई		जून –जुलाई		जून –जुलाई
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन बहुत अधिक सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त पैसे, डीजल एवं भूगर्भ जल की खपत होती है।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/> ✓	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/> ✓	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया				जुलाई-अगस्त	
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन सरकारी सहायता के रूप में मुवावजा, राशन, तिरपाल आदि प्राप्त हुआ है।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन निजी सहायता के रूप लोग मिलकर बंधा बनाते हैं और पानी निकालने हेतु पम्पिंग सेट लगवाते हैं।	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/> ✓		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	पिछले पांच वर्षों में केवल 2019 में बाढ़ की स्थिति बनी थी।			बहुत सारे कच्चे घर गिर गए थे।	
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>



b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	NA				
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	भूस्खलन की कोई भी घटना नहीं हुई।				
<b>33 ओलावृष्टि</b>						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई					
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>34 फसलों के कीट/बीमारी</b>						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓
	किस माह में टिड्डी / कीट/बीमारी को देखा गया?	फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर	फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर	फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर	फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर	फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर
b	किस प्रकार के टिड्डी / कीट/बीमारी को देखा गया?	झुलसा, तनाछेदक, फलछेदक, माहो, रस्ट, धान में अगिया	झुलसा, तनाछेदक, फलछेदक, माहो, रस्ट, धान में अगिया	झुलसा, तनाछेदक, फलछेदक, माहो, रस्ट, धान में अगिया	झुलसा, तनाछेदक, फलछेदक, माहो, रस्ट, धान में अगिया	झुलसा, तनाछेदक, फलछेदक, माहो, रस्ट, धान में अगिया
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान स्वयं के स्तर से खरीदकर दवाओं का छिड़काव करते हैं				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
		हां	नहीं	हां	नहीं
	आपदा तैयारी के उपाय				
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil
B	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	
		Nil

37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत		
	स्थानीय कृषि अधिकारी	Nil
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	✓
	मोबाईल फोन/एप	✓
	मौखिक	✓





कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	Nil
पशुपालन विभाग	Nil
उद्यान विभाग	Nil
अन्य	Nil

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
<b>38</b>	<b>फसल हानि</b>					
<b>A</b>	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम- गर्मी, ढण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ (1)	धान	वर्षा का ना होना और रोग	2592	5287680/-
	द्वितीय वर्ष (2021)	नहीं				
	तृतीय वर्ष (2020)	खरीफ (1)	धान	वर्षा का ना होना और रोग	1036	2113440/-
	चतुर्थ वर्ष (2019)	नहीं				
	पंचवां वर्ष (2018)	नहीं				
<b>B</b>	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	जब तक पुरे क्षेत्र में आपदा घोषित नहीं होती फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता, सभी फसलों का बीमा नहीं होता, किसान स्वेच्छा से फसल बीमा नहीं कराते क्योंकि उसका लाभ नहीं मिलता, जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनका बिमा खाते में पैसे होने पर बैंक द्वारा स्वयं ही कर दिया जाता है। अधिकतर किसान फसल बीमा				



		से असंतुष्ट दिखे।				
--	--	-------------------	--	--	--	--

39 फसल पद्धति में बदलाव					
A	सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी गेंहू सरसों आलू	जायद/अन्य ऋतु सब्जी	
B	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जून-जुलाई	वर्षा ना होने के कारण अब जुलाई अंत तक धान की रोपाई की जाती है, जो पहले 15 जुलाई तक समाप्त हो जाती थी।	जुलाई अंत तक	समय से वर्षा का ना होना और देर से होना
	गेंहू	अक्टूबर-नवंबर	बुवाई का समय आगे बढ़ा है।	दिसम्बर तक	धान की फसल देर से कटने के कारण गेंहू की फसल की बुवाई भी देर से होना प्रारम्भ हो गई है।
	सरसों	अक्टूबर-नवंबर	कोई परिवर्तन नहीं।		
C	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो आदि तथा दलहन की फसले अब लोग नहीं कर रहे. वर्षा की कमी के कारण धान की हाइब्रिड/ कम दिनों वाली प्रजाति को लोग अब प्राथमिकता दे रहे है।			





40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
A	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि/पद्धति का उपयोग (रुपया/एकड़)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	धान	नहर (3), वर्षा आधारित (4)  (6) ट्यूबवेल, सबमसिबल, पम्पिंगसेट से पलडिंग (खेत में भरकर) विधि से सिंचाई	1600-2000	नहर (3), वर्षा आधारित (4)  (6) ट्यूबवेल, सबमसिबल, पम्पिंगसेट से पलडिंग (खेत में भरकर) विधि से सिंचाई	800-1200
	गेहूँ	नहर (3), वर्षा आधारित (4)  (6) ट्यूबवेल, सबमसिबल, पम्पिंगसेट से पलडिंग (खेत में भरकर) विधि से सिंचाई	900	नहर (3), वर्षा आधारित (4)  (6) ट्यूबवेल, सबमसिबल, पम्पिंगसेट से पलडिंग (खेत में भरकर) विधि से सिंचाई	600
B	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां
		25	4	1	
C	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	सिंचाई की निर्भरता मुख्य रूप से नहर पर है।			
41 पशु पालन/पशुधन					
A	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2)				



	मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)					
B	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	35	गलाघोंटू रोग, रोड एक्सीडेंट		परिवर्तन नहीं (3)
	द्वितीय वर्ष(2021)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	65	थनैला, शीतलहर		कमी (2)
	तृतीय वर्ष (2020)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	45	शीतलहर, खुरपका, मुहपका, रोड एक्सीडेंट	सर्दी	कमी (2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	35	शीतलहर, खुरपका, मुहपका, रोड एक्सीडेंट	सर्दी	कमी (2)
	पंचम वर्ष(2018))	गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	40	शीतलहर, खुरपका, मुहपका, रोड एक्सीडेंट	सर्दी	कमी (2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
C	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्ताख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	मुर्गी (1)	400 मुर्गी के चूजे	शीतलहर	सर्दी	कमी (2)







	द्वितीय वर्ष(2021)	मुर्गी (1)	300 मुर्गी के चूजे	शीतलहर	सर्दी	कमी (2)
	तृतीय वर्ष (2020)	मुर्गी (1)	350 मुर्गी के चूजे	शीतलहर	सर्दी	कमी (2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	मुर्गी (1)	200 मुर्गी के चूजे	शीतलहर	सर्दी	कमी (2)
	पंचम वर्ष(2018))	मुर्गी (1)	350 मुर्गी के चूजे	शीतलहर	सर्दी	कमी (2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
D	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil				
	पंचम वर्ष(2018)	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				





## V. कृषि व पशुपालन

### प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी

42 a	उर्वरक उपयोग						कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी		
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवारनाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	खरीफ(गर्मी)	10369	यूरिया, डी.ए.पी., जिंक, पोटास	यूरिया -100 किग्रा0 डी.ए. पी-50 किग्रा0 जिंक-5 किग्रा0 पोटास-30 किग्रा0	1	क्लोरो पायरीफास (धनवान, क्लोरोगार्ड), मोनोक्रोफास, मैलाथियान आदि	150-200 ग्राम/एकड़	1	2,4 डी, एट्रीजीन	150-200 ml/एकड़	1
	गहूँ	रबी(सर्दी)	6242	यूरिया, डी.ए.पी.	यूरिया -100 किग्रा0 डी.ए. पी-60 किग्रा0	1	इमामेक्टीन बेंजोएट (मिशायल), मोनो क्रोटोफाश	150-200 ग्राम/एकड़	1	सल्फोसलफयूरान (सल्फो गोल्ड), मेटा सलफयूरान (MSM-20)	200-250 ml/एकड़	1



b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	4-5	नहीं	क्या फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबंधन की योजनाओं को जानते/ जागरूक है?
		हाँ <input type="checkbox"/>				नहीं	बहुत पहले तो नहीं जलाया जाता था परन्तु पिछले 10-15 वर्षों से जब से लोग पक्के मकानों में रहना शुरू कर दिए और कम्बार्सिन मशीन से कटाई होने लगी लोग अवशेष जलाने लगे।	







46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (वार्षिक) (रु०)	
गाय (देशी नस्ल)	350	भूसा, खुले में चराई	6000	
गाय (संकर नस्ल)	60	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	15000	
भैंस (देशी नस्ल)	270	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	10000	
भैंस (संकर नस्ल)	75	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	15000	
बकरी	1000	दाना, खुले में चराई	6000	
सुअर	100	दाना, खुले में चराई	7000	
मुर्गी	20000	मुर्गी दाना	200	
मत्स्य	Nil			
अन्य	Nil			

#### VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
A	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
B	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (वार्षिक) (रु०)
गाय (देशी नस्ल)	350	भूसा, खुले में चराई	6000
गाय (संकर नस्ल)	60	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	15000
भैंस (देशी नस्ल)	270	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	10000
भैंस (संकर नस्ल)	75	हरा चारा, दाना, पशुआहार, खुले में चराई	15000
बकरी	1000	दाना, खुले में चराई	6000
सुअर	100	दाना, खुले में चराई	7000
मुर्गी	20000	मुर्गी दाना	200
मत्स्य	Nil		
अन्य	Nil		

## VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
A	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
B	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी का छिलका, अनाज का अपशिष्ट, सुखा कचड़ा 1-2 किलो					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं किया जाता					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हाँ	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहाँ कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हाँ तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति			
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचकमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति				
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	575 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान कुन्दनगंज
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	NA		





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	300 लीटर प्रतिघर			अधिकतर किसान पारंपरिक विधि से सिंचाई करते हैं जिसमें लगभग 10% पानी नालियों इत्यादि में अपशिष्ट के रूप में खराब हो जाता है।	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nil
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nil
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी							
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प		
			प्रभावित बच्चों की	प्रभावित व्यवस्कों	प्रभावित वरिष्ठ	स्थानीय स्वास्थ्य	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने





	की संख्या	संख्या	की संख्या	नागरिकों की संख्या	देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)		वाला	करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	70	20	46	4	MP बिरला द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कैम्प	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाइड / हैपेटाइटिस आदि)	150	30	95	25	MP बिरला द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कैम्प	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	80	6	57	17	MP बिरला द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कैम्प	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	कुपोषण	24	24	0	0	आंगनवाडी केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	945
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	12
	एयर कुलर	136
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	160

54		विद्युत कटौती की आवृत्ति
A	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
B	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6-7
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	





55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	0
	सौर उर्जा	0
	इमरजेंसी लाईट	285
	इन्टवर्टर्स	48
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	0

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	सौर स्ट्रीट लाईट	50	50
	बायोगैस	Nil	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Nil	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	No	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
----	-------------------------------	--------------------	---



# अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना— करनपुर



वर्ष— 2023-24

ग्राम पंचायत— करनपुर

विकास खण्ड— बछरावां

जनपद— रायबरेली, उत्तर प्रदेश



# खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण

## जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत करनपुर, रायबरेली जनपद के बछरावां विकासखण्ड में स्थिति है। इसकी बसावट राष्ट्रीय राजमार्ग 24B के दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर में हैं तथा इस ग्राम पंचायत में ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा सभी ऋतुओं का प्रभाव रहता है। गाँव के लोगों से बात करने पर पता चला की पिछले कई वर्षों से गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा वर्षा एवं ठण्डी के दिनों की संख्या कम होती जा रही है और गर्मी में तापमान भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। गाँव के बुजुर्गों ने बताया की पहले शरद कालीन नवरात्रों जो की कुवार (अश्विन) अंग्रेजी महीने के अनुसार अक्टूबर से ठण्ड का प्रारम्भ हो जाता था और होली तक ठण्ड रहती थी परन्तु अब तो नवम्बर तक पंखा चला के सोना पड़ता है और ठण्ड जल्दी समाप्त भी हो जाती है, कोहरा भी कम होने लगा। वर्ष 2022 में तो सही से ठण्ड केवल 15 दिन ही रही वह भी दिसम्बर महीने के अंत में तथा जनवरी के प्रारम्भ में। वर्षा के बारे में गाँव वालों ने बताया की पहले वर्षा मई से प्रारम्भ होकर अगस्त तक समाप्त होती थी पूरा असाढ़ लगभग रोज ही पानी बरसता था लेकिन अब असाढ़ में पानी ही नहीं बरसता, वर्षा के दिनों की संख्या बहुत कम हो गई है साथ में कुछ ही दिनों, 3-4 दिनों में बहुत अधिक बारिश हो जाती है। गाँव वालों ने बताया की अब लगभग 8 महीने मार्च से अक्टूबर तक गर्मी ही रहती है।

ग्राम पंचायत करनपुर में खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) की विभिन्न विधाओं यथा ग्राम भ्रमण, लक्षित समूह चर्चा, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर आदि का प्रयोग करते हुए आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया तथा इसी के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्न हैं –

### 1. गाँव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

गाँव के लोगों के साथ सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) की विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करते हुए उनके आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली आपदाओं की एक सूची बनाई गई। इस सूची में प्राप्त आपदाओं एवं उससे उत्पन्न होने वाली/ समुदाय को प्रभावित करने वाली समस्याओं की पहचान एवं उनका तुलनात्मक प्राथमिकीकरण भी गाँव के लोगों के साथ किया गया। प्राथमिकीकरण के दौरान यह पाया गया की करनपुर ग्राम पंचायत को प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदा **सूखा तथा गाँव में जलजमाव** है, इससे उनकी कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य एवं गाँव की साफ सफाई अधिक प्रभावित होती है।

### आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई जिसका उनके जीवन पर अभी तक सबसे गहन प्रभाव पड़ा है तथा अधिक क्षति हुई है। अभी हाल में ही वर्ष 2019 में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें लगभग 60 कच्चे घर गिर गए थे, जिसे गाँव के लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वर्ष 2022 में पूरा गाँव सूखे के चपेट में रहा जिससे गाँव की 250 हेक्टेयर से अधिक भूमि तथा 450 अधिक परिवार प्रभावित हुये, धान की फसल का उत्पादन लगभग 25% कम हुआ। वर्ष 2018 तथा 2020 में सूखे ने लगभग पूरे गाँव को प्रभावित किया। वर्ष 1973 में गाँव में बहुत अधिक आंधी तूफान आया था जिसके कारण गाँव के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, इस आंधी तूफान में गाँव के लगभग 150 घरों के छप्पर उड़ गए

थे। वर्ष 1968 में बाढ़ ने गाँव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया जिसमें जनधन का भी नुकसान हुआ और गाँव के 3 लोग मृतक भी हुवे।

#### विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 04 देखें।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत करनपुर को प्रभावित करते हैं -

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रै०	मई	जून	जुला०	अग०	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आंधी तूफान												
ओला-पत्थर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेण्डर बनाने से एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा के दिनों की संख्या में कमी तथा प्रत्येक वर्ष बढ़ते बेतहाशा तापमान से गाँव के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, इसके साथ कृषि का समय चक्र और पशु-पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं।

सूखा तथा जलजमाव इस गाँव की प्रमुख समस्या है। गाँव के बीच से राष्ट्रीय मार्ग पड़ता है जिसके दोनों तरफ करनपुर गाँव के मजारों की बसावट है, राष्ट्रीय राजमार्ग ऊँचा होने तथा तालाबों एवं जल निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण होने के कारण पंचायत के अधिकतर मजारों में जल निकासी की समस्या है जिस कारण जलजमाव हो जाता है और समुदाय के लोगों का आवागमन, आजीविका, स्वास्थ्य एवं कृषि को प्रभावित करता है। साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के चारे का संकट बनकर पूरे वर्ष झेलना पड़ रहा है।

समय से वर्षा ना होने के कारण जायद की फसले गायब होती जा रही हैं, रबी की फसलों पर पाला, ओला पत्थर तथा जल्दी से गर्मी का प्रारम्भ हो जाने के कारण उत्पादन कम होने की संभावना बनी रहती है, शीतलहर और कम दिनों में अधिक वर्षा हो जाने से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन एवं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

## 2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये हैं।

आपदाओं का ग्राम पंचायत करनपुर के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का करनपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बनती है। इसे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है-

### खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारी का जोखिम	चमनगंज करनपुर	30 घर 90 घर	भूमिगत जल का दूषित होना
		स्वच्छता	गोबर, घरेलु कचड़ा, बाजार का कूड़ा आदि बहकर फ़ैल जाना	पूरा गांव	-	नाली, नाला, तालाब, सड़क, खडन्जा, इन्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	मच्छरों का बढ़ जाना तथा जलजनित बिमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा गांव	-	150 से अधिक लोग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिती कम होना।	पूरा गांव	-	सड़क, विद्यालय भवन एवं परिसर में सीपेज
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चें, विकलांग, महिलाओं का गिर जाना/घायल हो जाना	पूरा गांव	-	आवागमन बंद हो जाना
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप	-	-	15 एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है।
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	पेड़-पौधें एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	-	-	5 एकड़ बर्बाद हो जाती है।
	पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप		लगभग 150 पशुपालक परिवार	बकरी, गाय, भैंस	



		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले तथा दिहाड़ी कार्य करने वाले परिवार	—	पलायन करके आजीविका के लिए बाहर जाना
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	—	7 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
		खेल का मैदान	खेल के मैदान में जलभराव के कारण बच्चों एवं युवाओं के विकास पर प्रभाव पड़ता है	—	—	—
2.	सूखा	पेयजल	पेयजल के स्रोतों का सूख जाना जलस्तर का नीचे जाना पानी की गुणवत्ता प्रभावित होना।	पूरा गांव	—	लगभग 10 इण्डिया मार्क तथा 35 निजी उथले हैंडपम्प से पानी आना बंद हो जाता है।
		कृषि	सिंचाई हेतु पानी का न मिलना। उपज का प्रभावित होना।	पूरा गांव	—	750 एकड़ खेत
		स्वास्थ्य एवं पोषण	हवा की गुणवत्ता प्रभावित होना। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता की कमी	बुजुर्ग एवं बच्चे	—	—
		उद्यान / सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक			पेड़-पौधें 1-2 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, उत्पादन कम होना आदि	गाय, भैंस एवं बकरी पालक	150 घर	चरागाह
3.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण में बाधा	पूरा गांव		50 बुजुर्ग 20 बच्चे स्वास्थ्य खराब
		कृषि	गेंहू के दानों का छोटा होना, उत्पादन कम होना फसलों का सूख जाना	पूरा गांव		750 एकड़ खेत
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित	—	बच्चें	शिक्षा बाधित
4.	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना।	पूरा गांव — बुजुर्गों सांस की बीमारी में वृद्धि		शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	—	—	15-16 एकड़ खेत
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान	पूरा गांव		प्रत्येक वर्ष 40-50 बकरियों की मृत्यु

5.	ओला- वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चों, वृद्धजन, महिलाएं के गिरने, चोट लगने का खतरा जानवरों के घायल होना	पूरा गांव		कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना
		कृषि	खड़ी फसलों का जमीदोज हो जाना, फसलों का उत्पादन कम हो जाना, सरसों आदि की फसलों का झर जाना	पूरा गांव	-	उत्पादन का कम हो जाना,

### आजीविका के साधनों पर आपादा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी, कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। जलजमाव के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 05 देखें।

### 3. नाजुकता विश्लेषण

प्रतिवर्ष बढ़ते हुए आपदाओं की आवृत्ति ने समुदाय के सभी वर्गों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया है। किसी भी गाँव में आपदा का प्रभाव समुदाय के सभी वर्गों पर सामान रूप से नहीं पड़ता। यह किसी वर्ग के लिए अत्यंत ही भयानक होता है जिससे उबरने में उसे वर्षों लग जाते हैं तो किसी वर्ग के लिए बहुत कम प्रभावशाली। इसलिए यह आवश्यक है की आपदा के प्रभाव को समझने के लिए नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन तथा स्थल आदि की पहचान किया जाए। इसको समझने के लिए सामाजिक समावेशन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समुदाय के विभिन्न हित धारकों यथा बुजुर्ग व्यक्तियों, महिलाओं, युवाओं, एवं प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, अध्यापक, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान आदि से विस्तृत रूप से चर्चा करके प्रभावित वर्ग, स्थल एवं संसाधन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

#### 1. सूखा

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की गतिविधियों के दौरान समुदाय से चर्चा करने पर पता चला की सूखा गाँव को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख आपदा है जो पिछले 10-15 वर्षों से बढ़ती ही जा रहा है। लोग बताते हैं कि 25-30 साल पहले गाँव में हम बिना किसी रस्सी के हाथ से ही बाल्टी में कुआँ से पानी भर लेते थे लेकिन अब बहुत सारे कुआँ सूख चुके हैं, वर्तमान में बारिश का कोई निश्चित समय नहीं है कभी भी असमय वर्षा हो जाती है। पहले मानसून की बारिश जून में प्रारम्भ हो जाती थी लेकिन पिछले वर्ष जून-जुलाई में कोई बारिश ही नहीं हुई तथा अक्टूबर में कुछ दिनों में ही अधिक बारिश हो गयी इससे फसल चक्र और वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। निम्नलिखित गतिविधियों के ना होने अथवा कम होने के कारण सूखे की स्थिति और भी बढ़ रही है-

- ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण की गतिविधियों का अभाव।
- ग्राम पंचायत में बाग-बागीचों का आभाव तथा नए बाग का ना लगाना।
- ग्राम पंचायत में वन क्षेत्र का ना होना।
- ग्राम पंचायत में जल संरक्षण की गतिविधियाँ यथा खेत का समतलीकरण, मेडबंदी आदि का बहुत कम होना।

- ग्राम पंचायत में 24 तालाब है जिसमें अधिकतर तालाबों में अतिक्रमण हो रखा है अथवा उनकी जलधारण क्षमता समाप्त हो जाने के कारण उनमें जल संरक्षण का अभाव।

### सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- सूखे का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ा था। सूखे के कारण वर्ष 2022 में धान के उत्पादन में लगभग 25% कमी हो गई थी।
- सूखे के कारण मनुष्यों और पशुओं के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाती है।
- सूखे के कारण ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जल स्तर नीचे हो जाने के कारण लगभग 10 इण्डियामार्क हैण्डपम्प एवं 45 उथले निजी हैण्डपम्प कम पानी देने लगते हैं, कुछ हैण्डपम्प पानी देना भी बंद कर देते हैं।
- सूखे के कारण सिंचाई की लागत बढ़ जाती है जिससे समुदाय की आर्थिक हानि भी होती है पिछले वर्ष सूखे के कारण धान की 216 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है।
- सूखे के कारण जानवरों के चारे का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोग जानवरों को आंवाड़ा छोड़ देते हैं जो पुनः फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों को आर्थिक क्षति होती है।
- सूखे के कारण उत्पन्न पानी की कमी गाँव के लोगों को दूषित पानी का उपभोग करने के लिए मजबूर करती है जिसके परिणामस्वरूप हेपेटाइटिस, हैजा और गैस्ट्रोएन्टेराइटिस जैसी कई जलजनित बीमारियाँ फैलती हैं।

### 2. जलजमाव

करनपुर ग्राम पंचायत में जलजमाव की समस्या दूसरी सबसे बड़ी आपदा के रूप में दिखती है जिससे लगभग पूरा गाँव प्रभावित है। गाँव के पश्चिम में रेलवे लाइन और बिरला सीमेंट फैक्टरी होने के कारण जल निकासी बुरी तरह से प्रभावित दिखती है। इस ग्राम पंचायत के तीन मजरे चमनगंज, करनपुर और मुस्लिम नगर जल जमाव से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। करनपुर में दलित बस्ती में रामदयाल के घर पास भितरिया तालाब स्थित है जो बरसात में पूरी तरह से भर जाता है और उससे जल निकासी नहीं हो पाती क्योंकि पहले जल निकासी हेतु जो नाला था उसपर अतिक्रमण हो रखा है। पूरी ग्राम पंचायत और राष्ट्रीय राजमार्ग का पानी बहकर चमनगंज में आता है क्योंकि इसकी बसाहट राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत नीचे है और जल निकासी हेतु जो नाला है वह जलकुम्भी से पूरी तरह पट चूका है। चमनगंज से पानी बहकर मुस्लिम नगर की ओर जाता है और मुस्लिमनगर के पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा पश्चिम की ओर रेलवे लाइन है जिसके नीचे से पानी बहकर नईया तक जाने की पहले व्यवस्था थी परन्तु अब बिरला सीमेंट फैक्टरी द्वारा एक और पट्टी बिछा ली गयी है जिसकी पुलिया ऊंचाई पर पड़ती है जिससे पानी बह कर नहीं निकल पाता और करनपुर ग्राम पंचायत के कई मजरों में जल जमाव की समस्या बन जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं की नाले को अतिक्रमण मुक्त कराके उसकी नियमित सफाई करवाई जाए और रेलवे लाइन के नीचे वाली पुलिया को थोड़ा नीचे कर दिया जाए तो जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। गांव में निम्नलिखित विकास की दशाएं जो जलजमाव में वृद्धि करते हैं

- राष्ट्रीय राजमार्ग से गाँव के लिए जो भी गलियां/रास्ते जाती हैं वह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर हैं, जिससे बरसात में वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- चमनगंज में जल निकासी हेतु उचित नालियों का आभाव है तथा रास्ता भी टूटा हुआ है।
- करनपुर में भितरिया तालाब से जल निकासी हेतु जो नाला था उस पर लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे जल निकासी नहीं हो पाती।
- गाँव के लोगों से बात करके पता चल जिस नाले से गाँव का पानी गाँव से निकल कर नैया नदी में मिलता था वह जगह-जगह से टूटा हुआ है तथा चमनगंज में उसमें जलकुम्भी भरे होने के कारण जल जमाव बना रहता है।
- रेलवे पटरी के नीचे की पुलिया ऊँची होने के कारण वहां से जल निकासी नहीं हो पाती।

#### **समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव**

- ठोस कूड़े एवं गोबर का उचित निपटान ना होने के कारण बरसात के दिनों में यह सड़को और नालियों में फ़ैल जाता है जिससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं और जल जमाव की समस्या बन जाती है जिससे समुदाय का आवागमन प्रभावित होता है।
- चमनगंज में लगभग 20 घर जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, इनके घरों में सीलन की समस्या बनी रहती है तथा घर कमजोर हो रहे।
- जगह-जगह गोबर के घूरे होने के कारण यह बरसात में फ़ैल जाता है नालियों को अवरुद्ध करता है जिससे जल जमाव की समस्या हो जाती है, मच्छर पैदा होने लगते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
- करनपुर में दलित बस्ती के दोनों तरफ तालाबों से बरसात में उचित जल निकासी न होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है।

### **3. लू**

गाँव के लोगों से चर्चा करने पर पता चला की ग्राम पंचायत को प्रभावित करने वाली आपदा में लू तीसरे स्थान पर आता है, अप्रैल से जून महीने में तापमान अधिक बढ़ जाता है और गर्म शुष्क हवाएं तेजी से चलने लगती हैं जो अपने साथ धूल-मिट्टी तथा बिरला सीमेंट फ़ैक्टरी से निकलने वाली धूल को अपने साथ लेकर आती है जिससे समुदाय के स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

#### **समुदाय पर लू का प्रभाव**

- ग्राम पंचायत में बच्चे (विशेषकर 10 वर्ष से कम उम्र के), बुजुर्ग व्यक्ति, नशेड़ी, रोगी, खिलाड़ी, वैसे लोग जो अत्यधिक गर्मी के आदी नहीं हैं वह लू से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। धूप में श्रम का कार्य करने वाले श्रमिक भी प्रभावित हो सकते हैं।
- लू के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों में बुखार, त्वचा का लाल पड़ना, रूखा होना, गर्म होना, नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिरदर्द होना, जी-मिचलाना, घबराहट होना, अधिक पसीना आना और बेहोश होना आदि स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं।

- ग्राम पंचायत में लू के साथ सीमेंट फैक्टरी की धूल भी आती है जिससे गाँव के लोगों में सांस की समस्या उत्पन्न हो रही है, सीमेंट फैक्टरी लगने के हर वर्ष सांस के मरीजों की संख्या बढ़ ही रही है ।
- लू के कारण पशुओं में भी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे उनका उत्पादन प्रभावित होता है, कभी कभी पशुओं को उचित उपचार न मिलने पर मृत्यु भी हो जाती है ।

#### 4. शीतलहर

सर्दी के मौसम में विशेषकर 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती हैं तापमान में तेजी से गिरावट होने लगती है जिससे समुदाय को शीतलहर का सामना करना पड़ता है. करनपुर ग्राम पंचायत को प्रभावित करने वाली यह चौथी आपदा है. समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

##### शीतलहर के प्रभाव

- शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्गों, बच्चों पशुओं एवं कृषि पर पड़ता है ।
- शीतलहर के कारण आलू, टमाटर, गोभी आदि फसलें पाले से प्रभावित हो जाती हैं और उनमें बिमारियां प्रारम्भ हो जाती है ।
- शीतलहर के कारण पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक वर्ष शीतलहर के कारण ग्राम पंचायत में 20–30 बकरियों की मृत्यु हो जाती है ।
- शीतलहर के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है साथ ही साथ उनमें निमोनिया, दस्त, सांस आदि की भी समस्या हो जाती है ।
- शीतलहर में सांस के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है, इसमें अधिकतर बुजुर्ग एवं बच्चे होते हैं ।
- शीतलहर के कारण लोगों की आजीविका तथा कृषि कार्य भी प्रभावित होता है जिससे समुदाय के लोगों को आर्थिक क्षति होती है ।

##### उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं द्वाचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं –

- ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के समुदाय आधारित संगठनों का आभाव है । कृषि हेतु उन्नत बीजों, उपकरणों तथा जानकारी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी सुविधा नहीं है, इन सुविधाओं के लिए विकासखण्ड मुख्यालय अथवा जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है । इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है ।
- लोगों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों यथा फसल बीमा, कृषि विभाग में पंजीकरण के पश्चात मिलने वाले बीज, दवाओं एवं विभिन्न सिंचाई योजनाओं तथा पशुओं में नस्ल सुधार, पशु बीमा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का आभाव है जिससे समुदाय की नाजुकता और बढ़ जाती है ।

- ग्राम पंचायत में पशुपालन व्यापक रूप से किया जाता है, गाँव में मुख्य रूप से गाय, भैंस तथा बकरी का पालन समुदाय द्वारा किया जा रहा परन्तु इनके गोबर के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है। गाँव में लोग घरों का अपशिष्ट तथा गोबर सड़कों के किनारे घूर बना कर डालते हैं जिस कारण वर्षा में यह गोबर तथा घर का कचड़ा बह कर नालियों में आ जाता है, जिससे गंदगी, जलजमाव तथा स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर उचित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए तथा गोबर एवं ठोस कचड़े का कम्पोस्ट बनाया जाए तो कृषि में आने वाली लागत भी घटेगी तथा फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा साथ में गंदगी तथा जलजमाव से भी मुक्ति मिल जाएगी।
- ग्राम पंचायत में वैकल्पिक उर्जा के स्रोतों का प्रयोग लगभग ना के बराबर है साथ ही साथ सरकार द्वारा वैकल्पिक उर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित की जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी का भी आभाव है। गाँव में लगभग 95% घरों की छते पक्की हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु सोलर पैनल की स्थापना की जा सकती है, तथा सिंचाई हेतु सौर उर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पंचायत भवन, मिनी सचिवालय आदि सरकारी भवन हैं परन्तु इनमें वैकल्पिक उर्जा के कोई भी स्रोत नहीं हैं, इनकी छतों पर सौर उर्जा स्थापित किया जा सकता है।
- गाँव में जैविक खेती अथवा प्राकृतिक खेती की जागरूकता का आभाव है, जिससे गाँव के लोगों द्वारा फसलों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को इसके परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सकता है।
- गाँव के लोगों में मिट्टी की जांच के बारे जागरूकता का आभाव है, जिससे वह कृषि में उर्वरकों का प्रयोग बिना किसी मानक के बेतहाशा कर रहे, कृषकों को मिट्टी की जाँच के बारे में जागरूक कर उनकी खेती की लागत कम की जा सकती है तथा रासायनिक खादों के प्रयोग को भी कम किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में मौसम के पूर्वानुमान की सूचना गाँव वासियों तक पहुँचाने के लिए कोई भी व्यवस्थित तंत्र का आभाव है जिससे उनकी नाजुकता और बढ़ जाती है।
- ग्राम पंचायत में सीमेंट फ़ैक्टरी होने के कारण उससे निकलने वाली धूल से फसलों का उत्पादन कम हो रहा था लोगों में बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं।

#### 4. क्षमता विश्लेषण

किसी भी प्रकार की विकास योजना बनाने से पूर्व यह आवश्यक है जहाँ की योजना बनाई जा रही है, उस स्थान की क्षमता का भी आंकलन किया जाए, करनपुर ग्राम पंचायत जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के सन्दर्भ में कितना सक्षम है, इसे जानने के लिए ग्राम वासियों के साथ मिलकर गाँव का क्षमता आंकलन किया गया। किसी भी आपदा के प्रभाव से गाँव में रहने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ वहाँ के संसाधन भी प्रभावित होते हैं। ये संसाधन मानव, भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधन के रूप में गाँव में मौजूद रहते हैं, यह संसाधन आपदा के समय बहुत ही मददगार होते हैं।

ग्राम पंचायत करनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 24B के दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। करनपुर ग्राम पंचायत में लोगों की सुविधा हेतु सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, मिनी सचिवालय, आयुष चिकित्सालय बच्चों की शिक्षा हेतु एक प्राथमिक, एक पूर्वमाध्यमिक विद्यालय तथा एक निजी इंटर कालेज है। लोगों के आवागमन हेतु खडंजा, इंटरलाकिंग तथा कच्चे रोड आदि सड़कें हैं तथा सिचाई हेतु एक नहर भी है। गाँव में 95% से अधिक मकान पक्के बने हुए हैं। गाँव में सड़कों के किनारे जल निकासी हेतु नाली बनी हुई है, जो कई स्थानों पर टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में रास्तों में जलजमाव की स्थिति हो जाती है और आवागमन बाधित होता है। गाँव में 67 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पेयजल हेतु उपलब्ध हैं जिनमें से 64 हैण्डपम्प का चबूतरा बना हुआ है तथा 3 हैण्डपम्प का चबूतरा नहीं बना है। ग्राम पंचायत में कुल 24 छोटे-बड़े तालाब हैं, जिनमें से कुछ पर अतिक्रमण हो रखा है। करनपुर मजरे में पंचायत भवन के नजदीक वाले तालाब पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत में बैंकिंग हेतु कुन्दनगंज मजरे में बैंक ऑफ़ बड़ोदा, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया तथा ग्रामीण बैंक की शाखाएं उपलब्ध हैं, तथा रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत में 14 स्वयं सहायता समूह हैं जिसमें से सभी समूहों का बैंक खाता खुला हुआ है तथा 6 समूह का बैंक क्रेडिट लिंकेज हो चुका है। अगर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ग्राम पंचायत में 122 व्यक्तियों को वृद्धा अवस्था पेंशन, 86 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन तथा 22 लोगों को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही 575 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु लाभ प्राप्त हो चुका है और वर्ष 2016-17 से 2022 तक 102 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि का लाभ भी 668 किसानों को मिल रहा है।

### सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

ग्राम स्तरीय संसाधन व सुविधाएँ जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं। मुख्यतः संसाधनों व सुविधाओं के परिपेक्ष्य में क्षमता आंकलन को तीन भागों ने बांटा गया है जो निम्न हैं—

### **भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी**

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय	01	श्रीमती शोभा मिश्रा-8433159511	0.5 किमी
पूर्व माध्यमिक विद्यालय	01	श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा 9621114044	0 किमी
निजी इंटर कालेज	01		1 किमी
पंचायत भवन	01		0 किमी
मिनी सचिवालय	01		0.5 किमी
आयुष चिकित्सालय	01		0 किमी
सरकारी राशन कार्ड की दुकान	01		0 किमी
थाना	01		09 किमी
कचहरी, महाराजगंज	01		15 किमी
जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस व्यवस्था	01	102, 108	24 किमी
विकासखण्ड कार्यालय बछरावां	01		09 किमी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछरावां	01		09 किमी
आपदा विभाग, रायबरेली	01		24 किमी

पोस्ट ऑफिस, कुन्दनगंज	01		0 किमी
बिजली विभाग, विशुनपुर	01		7 किमी
डिग्री कालेज बछरावां	01		9 किमी
फायर स्टेशन रायबरेली	01	112	24 किमी
बस स्टेशन कुन्दनगंज	01		0 किमी
रेलवे स्टेशन कुन्दनगंज	01		0 किमी
खाद बीज, दवा केन्द्र बछरावां	01		9 किमी
बजार कुन्दनगंज	01		0 किमी
बैंक कुन्दनगंज	01		0 किमी

### प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी
<b>पर्यावरणीय संसाधन</b>				
1.	तलाब	24	—	
2.	कुंआ	9		
3.	नाला	02	—	
4.	बाग	04		
5.	नदी	01	नैया नदी	1 किमी
6.	कृषिगत क्षेत्र	311.26 हेक्टेयर		
7.	खुला क्षेत्र / सामुदायिक भूमि	45 एकड	38 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।	



## मानव संसाधन

क्र.स.	पदनाम	नाम व मोबाइल नंबर
1.	ग्राम प्रधान	श्री रहमत अली – 945329000
2.	ग्राम विकास अधिकारी	श्री अलोक शुक्ल-9956121500
3.	लेखपाल	श्री संतोष कुमार-9792265230
4.	पंचायत सहायक	श्री मुनाजिद रजा-9967424183
5.	पंचायत रोजगार सेवक	श्रीमती रागिनी मिश्रा-9451319655
6.	सफाई कर्मी	श्री राम लाल
7.	सामुदायिक शौचालय केयर टेकर	श्रीमती जानकी-7379360501
8.	समूह सखी	श्रीमती सविता-7268910409
9.	प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक	श्रीमती शोभा मिश्रा-8433159511
10.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती शालिनी सिंह-9451036557
11.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती रत्ना देवी-8009474005
12.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती नीलम सिंह –8574058764
13.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र	श्रीमती शिल्पी-6394158464
14.	प्राथमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती श्यामा देवी-8953105288
15.	प्राथमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती रामवती-9935402321
16.	प्राथमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती सुनीता-8853893717
17.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक	श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा-9621114044
18.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती सरिता-9415958488
19.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती अक्षिति शुक्ल-7459902700
20.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षिका	श्रीमती अनुपमा आर्य-8953258964
21.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनुदेशक	श्री विकास कुमार वर्मा-6386412888
22.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती सुशीला देवी-8934815390
23.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती गीता गुप्ता-8009302564
24.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसोईया	श्रीमती सुमन मिश्रा-6306125911
25.	आंगनवाड़ी करनपुर प्रथम	श्रीमती अनीता गुप्ता-9956662280
26.	आंगनवाड़ी कुन्दनगंज	श्रीमती छाया-9616349692
27.	आंगनवाड़ी करनपुर तृतीय	श्रीमती सावित्री गुप्ता-8756914006
28.	आशा बहू करनपुर द्वितीय	श्रीमती रीता गुप्ता-6391335065
29.	आशा बहू करनपुर प्रथम	श्रीमती शुभी मिश्रा-6307197706
30.	आंगनवाड़ी कुन्दनगंज	श्रीमती सुशीला सिंह-7839725314
31.	आंगनवाड़ी करनपुर तृतीय	श्रीमती सुन्दारा-9839725313
32.	एएनएम	श्रीमती केश कुमारी-9120159127
33.	छोलाछाप डाक्टर	कुल संख्या-6
34.	भूतपूर्व सैनिक	कुल संख्या-3

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच में हैं कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

### वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम.	मद	वर्ष 2022-23
1.	15वां वित्त आयोग	9,35,472 /-
2.	राज्य वित्त आयोग	7,33,024 /-
3.	मनरेगा	14,35,000 /-
4.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ0एस0आर)	-0

### क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद "जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण" अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग की कार्य योजना तालिका -

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	भौतिक मात्रा	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुस्था - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	कचरे से पटे 4 कुए की सफाई, सुस्था एवं मरम्मत का कार्य (कूप जीर्णोद्धार) कूड़ा पात्र रखवाना	कुन्दनगंज में संग्राम के घर के पास कुन्दनगंज में महाशानिन मंदिर के पास करनपुर में रमापति के दरवाजे करनपुर में अनीता के दरवाजे कूड़ा निस्तारण हेतु 80 कूड़ा पात्र रखवाना	कुन्दनगंज -2 करनपुर -2	8 लाख	2 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2.		कूड़ा पात्र रखवाना		करनपुर-25 कुन्दनगंज-28 चमनगंज-8 मुस्लिमनगर-8 नरहिया-5 राजाखेड़ा-5 रघुनाथ खेड़ा-1	4 लाख	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3.		शौचालय निर्माण	पुरुष एवं विकलांग सामुदायिक शौचालय निर्माण	पिक सामुदायिक शौचालय के पास	8 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
4.		जैविक /अजैविक कूड़ा प्रबंधन केन्द्र	टोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र /रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC)	कुन्दनगंज	18 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
5.		नाडेप जैविक खाद का पिट निर्माण	टोस अपशिष्ट एवं गोबर के उचित निस्तारण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर 50 वर्मी कम्पोस्ट एवं 45 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	नाडेप तालाब एवं गड्डी के पास, वर्मी लाभार्थी का घर करनपुर- 35 कुन्दनगंज-45 चमनगंज-6	9 लाख 50 हजार	6 माह	15वां वित्त आयोग/SB M/ मनरेगा/ कृषि विभाग

6.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 20 हैण्डपम्पों को आवश्यकतानुसार रिबोर कराना	मुस्लिमनगर-6 नरहिया-5 राजाखेड़ा-2 रघुनाथ खेड़ा-2 ग्राम पंचायत के सभी मजरों में	10 लाख	12 माह	15वां वित्त आयोग
7.		पानी सफाई हेतु ट्रीटमेन्ट केन्द्र	गंदे पानी की सफाई हेतु 15 ट्रीटमेन्ट केन्द्र	करनपुर के तालाब - 6 कुन्दनगंज के तालाब -6 चमनगंज के तालाब -1 मुस्लिमनगर के तालाब -1 नरहिया के तालाब -1	10 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
8.		नाला निर्माण एवं ढक्कन ढलाई	आरसीसी नाला 500 मीटर सुखराज के तालाब से चमनगंज तक	-	30 लाख	6 माह	15वां वित्त
9.		नाला मरम्मत एवं ढक्कन ढलाई	राम बहादुर के घर से देवतादीन तालाब तक मीटर	-	10 लाख	3 माह	15वां वित्त
10.		नाला सफाई एवं खुदाई	चमनगंज से नईया तक 1 किमी	-	10 लाख	1 माह	15वां वित्त
11.		नाली निर्माण	लखनऊ रोड से हनुमान मंदिर तक दोनों तरफ 40 मीटर	कुन्दनगंज	80 हजार	3 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
12.		नाली निर्माण	पीर मोहम्मद की दुकान से सुनील पाण्डेय के खंडजा तक 100 मीटर	कुन्दनगंज	2 लाख	3 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
13.		नाली निर्माण	कृष्णबहादुर के घर से नरेंद्र बहादुर के घर तक 100 मीटर	करनपुर	2 लाख	3 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
14.		नाली निर्माण	खुशींद के घर से रोशन जहाँ के घर तक 80 मीटर	करनपुर	160 हजार	3 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा

15.		नाली निर्माण	सुखमी के घर से देवता गोड़िया के घर तक खडंजे के दोनों तरफ 60 मीटर	चमनगंज	3.6 लाख	6 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
16.		नाली निर्माण	शेखद अली के घर से राहुल के घर तक 200 मीटर	करनपुर	5 लाख	6 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
17.		नाली मरम्मत	मायावी के घर से सुरेन्द्र की दुकान तक 60 मीटर	करनपुर	60 हजार	3 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
18.	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुस्था - साफ-सफाई एवं स्वच्छता	नाली मरम्मत	सहाम मंसूरी के घर से इरशाद रायनी के घर तक 60 मीटर	मुखिम नगर	1 लाख	6 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
19.		नाली मरम्मत	शीलू के दरवाजे से अनीता के दरवाजे तक 100 मीटर	कुन्दनगंज	1.2 लाख	6 माह	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा
20.		नाला सफाई	13 नम्बर कुलाबा से बोडे के तालाब तक	करनपुर	50 हजार	6 माह	मनरेगा
21.		नाला सफाई	पीठन माइनर से भदौरिया के खेत तक	करनपुर	50 हजार	6 माह	मनरेगा
22.		पुलिया निर्माण	पचायत भवन के पास	करनपुर	2 लाख	1 वर्ष	15वां वित्त/राज्य वित्त/ मनरेगा

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
23.	सेक्टर 2- बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार	पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 2 कक्षा का छत, शौचालय फर्श आदि	कुन्दनगंज	15 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
24.		आंगनवाड़ी केंद्र का नव निर्माण	नए आंगनवाड़ी केंद्र का भवन	करनपुर -3 कुन्दनगंज -1	36 लाख	1 वर्ष	ICDS / मनरेगा
25.		सोख्ता गढ़डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 65 सोख्ता गढ़डा	करनपुर- 20 कुन्दनगंज-25 चमनगंज-6 मुस्लिमनगर-6 नरहिया-5 राजाखेड़ा-2 रधुनाथ खेड़ा-1	6 लाख 50 हजार	1 वर्ष	15वां वित्त एवं /मनरेगा
26.		रेन वाटर हार्वेस्टिंग	प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पंचायत भवन व मिनी सचिवालय में	कुन्दनगंज	80 हजार	1 वर्ष	15वां वित्त एवं /मनरेगा
27.		तालाब संरक्षण	2 तालाब का संरक्षण का कार्य (सफाई, चौहद्दी, चबूतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य)	1. नरहिया तालाब 2. दशा का तालाब	12 लाख	3 माह जून -अगस्त	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
28.		तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	भितरिया तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	करनपुर	4 लाख	3 माह जून -अगस्त	15वां वित्त एवं /मनरेगा/वन विभाग
29.		खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	हरदोई रोड से झुरी के घर तक 400 मीटर	नरहिया	6 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
30.		खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	अशोक के घर से लेकर दूलमपुर माइनर से पुल तक 200 मीटर	नरहिया	4 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
31.		खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	दूलमपुर माइनर से लेकर नरहिया पुल तक 300 मीटर	नरहिया	5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
32.		खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	भुल्लन के दरवाजे से नाहर तक 100 मीटर	राजाखेड़ा	2 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा

33.	खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	शिवचंद्र के घर से लेकर नहर के पुल तक 100 मीटर	राजाखेड़ा	2 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
34.	खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	इण्टरलॉकिंग रोड से लेकर हरदोई रोड तक 500 मीटर	राजाखेड़ा	7 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
35.	खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	हरिशंकर के घर से लेकर राजाखेड़ा खडंजा तक 75 मीटर	राजाखेड़ा	1.5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
36.	खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	बेचू के घर से पीठन के पुरवा रोड तक 350 मीटर	करनपुर	5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
37.	खडंजा निर्माण	संदीप के घर से प्रेमा के घर तक 50 मीटर	करनपुर	1 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
38.	खडंजा मरम्मत	मायावी के घर से सुरेन्द्र की दुकान तक 60 मीटर	करनपुर	1.2 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
39.	खडंजा मरम्मत	सुखमी के घर से देवता गोड़िया के घर तक 70 मीटर	घमनगंज	1.4 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
40.	खडंजा मरम्मत	नूर मोहम्मद के घर से हरदोई रोड तक 250 मीटर	कुन्दनगंज	3.5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
41.	खडंजा मरम्मत एवं साइड पटाई	हाइवे से राजा टेलर के घर तक 100 मीटर	कुन्दनगंज	2 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
42.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	मेन हाईवे से हनुमान मंदिर तक 40 मीटर	कुन्दनगंज	2.5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा

43.	इन्टरलॉकिंग	पंचायत भवन प्रांगण में	करनपुर	4 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
44.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	पीर मोहमद की दुकान से सुनील पाण्डेय के खडजा तक 100 मीटर	कुन्दनगंज	6 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
45.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	महारानी मंदिर गेट से माता रानी मंदिर तक 50 मीटर	कुन्दनगंज	3 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
46.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	राम विलास के घर से प्रेम चौरसिया के घर तक 70 मीटर	करनपुर	4 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
47.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	बीनू के घर से नन्दे चौरसिया के घर तक 150 मीटर	करनपुर	10 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
48.	सड़क का इन्टरलॉकिंग	कृष्ण बहादुर के घर से नरेंद्र बहादुर के घर तक 100 मीटर	करनपुर	7 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
49.	सेक्टर 2- बुनियादी/आधारभू त संरचना एवं पर्यावरण	संतोष के घर से विजय प्रकाश के घर तक 80 मीटर	करनपुर	5 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
50.		रायबरेली रोड से मिट्टी के घर तक 100 मीटर	करनपुर	7 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
51.		सुल्तान के घर से शर्कीरा के घर तक 50 मीटर	करनपुर	3 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
52.		नजीर के घर से जुम्मान के घर तक 40 मीटर	करनपुर	2.8 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा



53.	सड़क का इंटरलॉकिंग	हरी मोहन के घर से शिवपूजन के घर तक 70 मीटर	करनपुर	4 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
54.	सड़क का इंटरलॉकिंग	खुर्शीद के घर से रोशन जहाँ के घर तक 60 मीटर	करनपुर	3.3 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा
55.	सड़क का इंटरलॉकिंग	इजरायल के घर से मरिजद तक 55 मीटर	करनपुर	3 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं मनरेगा

क्रम.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
56.		वृक्षारोपण	3000 छायादार, फलदार एवं टिम्बरवाले वृक्षों का रोपण जाली के साथ पौधों को सुरक्षा	ग्राम पंचायत में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों यथा कब्रिस्तान, सभी तालाब एवं स्कूलों आदि में	3 लाख	3 माह जून-अगस्त	15वां वित्त एवं मनरेगा/वन विभाग
57.		मेडबंदी	शमशान भूमि के चारों तरफ मेडबंदी 80x40 मीटर	शमशान के पास	30 हजार	6 माह	मनरेगा
58.		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर मार्ग प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा	110 सार्वजनिक स्थानों पर	22 लाख	6 माह	15वां वित्त/
59.		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	ग्राम पंचायत के सार्वजनिक भवनों पंचायत भवन, मिनी सचिवालय, प्राथमिक विद्यालय, पूर्वमाध्यमिक विद्यालय आदि में प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा	4 स्थानों पर	24 लाख	6 माह	15वां वित्त/यूपीनेडा
60.		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	व्यक्तिगत लाभार्थियों के घर पर सौर उर्जा हेतु मिनी ग्रिड	सभी मजरा में 50 लाभार्थियों के घरों पर	1 करोड़	6 माह	15वां वित्त/यूपीनेडा
61.	सेक्टर 3-आजीविका, कृषि, पशुपालन	नर्सरी का निर्माण	5 समूह के माध्यम से पालीहाउस/नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	करनपुर में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जमीन पर	2 लाख	6 माह	मनरेगा
62.		पशु शेड	व्यक्तिगत स्तर पर 6-7 पशु की क्षमता वाले 50 पशु शेड का निर्माण	सभी मजरा में	50 लाख	6 माह	मनरेगा

63.		बकरी शेड	व्यक्तिगत स्तर पर 6-7 बकरी की क्षमता वाले 50 बकरी शेड का निर्माण	सभी मजदूरों में	50 लाख	6 माह	मनरेगा
64.		मुर्गी शेड	व्यक्तिगत स्तर पर 30 मुर्गी शेड का निर्माण	सभी मजदूरों में	30 लाख	6 माह	मनरेगा
65.	सेक्टर 3- आजीविका, कृषि, पशुपालन	स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्य करने हेतु SHG शेड	कुन्दनगंज में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्य करने हेतु SHG शेड का निर्माण	कुन्दनगंज	20 लाख	6 माह	मनरेगा
66.		सौर ऊर्जा द्वारा सिंचाई हेतु सोलर पम्प	ग्राम पंचायत के विभिन्न मजदूरों में सिंचाई हेतु 10-10 किसानों के समूह बनाकर 50 स्थानों पर सोलर पम्प	सभी मजदूरों में	50 लाख	6 माह	15वां वित्त/यूपीनेड T/कृषि विभाग/CSR

## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

### वातावरण निर्माण

किसी भी प्रकार के नियोजन हेतु यह नितांत आवश्यक है कि जिनके हेतु नियोजन किया जा रहा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। पूर्ण सहभागिता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब जिनकी सहभागिता होनी है उन्हें पूरी सूचना हो, और किए जाने वाले नियोजन हेतु ग्रामवासियों के बीच में एक सहभागी वातावरण का सृजन हो। ग्राम पंचायत करनपुर में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु वातावरण सृजन के लिए ग्राम प्रधान श्री रहमत अली सहयोगी संस्था पानी के प्रतिनिधियों, गाँव के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ दिनांक 13/03/2023 को मिनी सचिवालय में एक बैठक की गयी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक द्वारा अलग-अलग मजरों में स्वयं सहायता समूहों, किसानों एवं गाँव के वरिष्ठजनों के साथ वातावरण सृजन हेतु बैठक की गयी।

### खुली बैठक

ग्राम पंचायत करनपुर में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 18.03.2023 को मिनी सचिवालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी मजरों से कुल 78 लोगों (महिला-31, पुरुष-47) भाग लिया।



विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

### ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

ग्राम पंचायत करनपुर में जलवायु आपदा एवं जोखिम की पहचान, समझ एवं रहन-सहन आदि को जानने हेतु ग्राम पंचायत के सभी मजरों यथा करनपुर, कुन्दनगंज, चमनगंज, मुस्लिमनगर, नरहिया, राजाखेड़ा में पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत के वरिष्ठ व्यक्तियों एवं उन मजरों में रहने वालों ग्राम वासियों के साथ भ्रमण करते हुए गांव संरचना, पशुपालन, आधारभूत संरचना जैसे नाली, सड़क, खडंजा, स्कूल, तालाब इत्यादि का भ्रमण किया गया।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 02 देखें।

## सामाजिक मानचित्रण

सभी मजदूरों में भ्रमण के उपरांत चमनगंज में ग्रामवासियों के साथ गाँव का सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	322.5 हे०	सभी मजदूरों की आबादी, खेती एवं बाग-बगीचों को मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	7	करनपुर, कुन्दनगंज, चमनगंज, मुस्लिमनगर, नरहिया, राजाखेड़ा, रघुनाथ खेड़ा
कुल घरों की संख्या	972	करनपुर (390 घर), कुन्दनगंज (442 घर), चमनगंज (32 घर), मुस्लिमनगर (40 घर), नरहिया (22 घर), राजाखेड़ा (38 घर), रघुनाथ खेड़ा (8 घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	881	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	91	करनपुर (30 घर), कुन्दनगंज (35 घर), चमनगंज (8 घर), मुस्लिमनगर (7 घर), नरहिया (3 घर), राजाखेड़ा (6 घर), रघुनाथ खेड़ा (2 घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	140	सभी मजदूरों में
विकलांग जनों की संख्या	32	11 महिला, 21 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	92	सभी मजदूरों में
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	67	करनपुर(25), कुन्दनगंज(33), चमनगंज(1), मुस्लिमनगर(2), नरहिया(3), राजाखेड़ा(2), रघुनाथ खेड़ा(1)

## जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	85
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	534
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	353
<b>कुल घरों की संख्या</b>	<b>972</b>

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 03 देखें।

## वातावरण निर्माण

किसी भी प्रकार के नियोजन हेतु यह नितांत आवश्यक है कि जिनके हेतु नियोजन किया जा रहा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, पूर्ण सहभागिता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब जिनकी सहभागिता होनी है उन्हें पूरी सूचना हो, और किए जाने वाले नियोजन हेतु ग्रामवासियों के बीच में एक सहभागी वातावरण का सृजन हो। ग्राम पंचायत करनपुर में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु वातावरण सृजन के लिए ग्राम प्रधान श्री रहमत अली सहयोगी संस्था पानी के प्रतिनिधियों, गाँव के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ दिनांक 13/03/2023 को मिनी सचिवालय में एक बैठक की गयी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक द्वारा अलग-अलग मजरों में स्वयं सहायता समूहों, किसानों एवं गाँव के वरिष्ठ जनों के साथ वातावरण सृजन हेतु बैठक की गयी।

### खुली बैठक

ग्राम पंचायत करनपुर में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु ग्राम सभा सदस्यों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 13.03.2023 को मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी मजरों से कुल 78 लोगों (महिला-31, पुरुष-47) भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री रहमत अली ने किया। बैठक की शुरुवात उपस्थित सभी सदस्यों के परिचय के साथ हुई जिसे ग्राम विकास अधिकारी, श्री अलोक शुक्ल द्वारा फैंसिलिटेट किया गया। बैठक के उद्देश्यों पर पानी संस्थान द्वारा चर्चा की गई और उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के विषय पर संवेदित किया गया। बैठक में जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हुए उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों से उनके गाँव में जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ रहे प्रभावों को जाना गया। बैठक में पानी संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर सतत प्रयास कर रही है तथा इसी दिशा में प्रदेश के 39 चयनित जनपदों की एक-एक ग्राम पंचायत में अगले वित्तीय वर्ष की विकास योजना जलवायु परिवर्तन केन्द्रित बनाई जा रही है, जिससे ग्राम पंचायत के रहने वालों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके साथ ही साथ ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्य किए जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा रायबरेली जनपद में करनपुर ग्राम पंचायत का चयन क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु किया गया है। यह बैठक इसी विकास योजना को मूर्त रूप देने हेतु आयोजित की गई है।

बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों ने बताया की करनपुर ग्राम पंचायत में सूखा और जलजमाव सबसे बड़ी समस्या है जिससे आमजन सबसे अधिक प्रभावित होता है, ग्राम पंचायत में जल निकास क्षेत्रों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे निकासी नहीं हो पाती. साथ में मुस्लिम नगर में बिरला सीमेंट फैक्टरी द्वारा बनाई गयी रेल लाइन के नीचे जल निकासी हेतु जो पुलिया है वह ऊँची है जिस कारण बारिश का पानी नैया नदी तक नहीं पहुँच पाता। चमनगंज में नाले की सफाई नियमित ना होने के कारण जलकुम्भी बहुत अधिक हो गई है जो जलबहाव को प्रभावित करती है। ग्राम सभा के सदस्यों ने बताया सीमेंट

निकलने वाली धूल वायु को प्रदूषित कर रही जिससे गाँव में सांस के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है जो शीतलहर में तथा लू के समय समुदाय को बहुत अधिक प्रभावित करती है।

### ग्राम पंचायत समितियों का विवरण—

<p><b>जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति</b> अध्यक्ष – श्री रहमत अली</p> <p>सदस्य श्रीमती कुसमा देवी श्री अर्जुन कुमार मोहमद इशितयाक श्री बाबूलाल श्री आशीष कुमार श्री गिरजा शंकर</p>	<p><b>शिक्षा समिति</b> अध्यक्ष – श्री रहमत अली</p> <p>सदस्य श्री वफाती मो० जावेद श्री बाबूलाल श्रीमती दिपांशी वर्मा श्रीमती सविता यादव श्रीमती आबिदा</p>	<p><b>निर्माण कार्य समिति</b> अध्यक्ष – श्रीमती आबिदा</p> <p>सदस्य श्री विजय प्रकाश श्रीमती कमला देवी श्री वैभवकान्त गुप्ता मो० इशितयाक श्री दिलीप कुमार श्री अर्जुन कुमार</p>
<p><b>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति</b> अध्यक्ष – श्री कुसमा देवी</p> <p>सदस्य श्री दिलीप कुमार श्री आशीष कुमार श्री वैभव गुप्ता श्रीमती दिपांशी वर्मा श्री वफाती श्री अर्जुन कुमार</p>	<p><b>प्रशासनिक समिति</b> अध्यक्ष – रहमत अली</p> <p>सदस्य श्रीमती कुसमा देवी श्री अर्जुन कुमार मो० इशितयाक श्री बाबूलाल श्री आशीष कुमार श्री गिरजा शंकर</p>	<p><b>पेयजल एवं स्वच्छता समिति / जल प्रबंधन समिति</b> अध्यक्ष – श्रीमती सविता यादव</p> <p>सदस्य श्रीमती कमला देवी श्रीमती कुसमा देवी श्री वफाती मो० जावेद श्री विजय प्रकाश श्री दिलीप कुमार</p>

### ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का विवरण

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	
1.	श्री रहमत अली	ग्राम प्रधान	
2.	श्री वफाती	ग्राम पंचायत सदस्य	1
3.	श्री गिरजा शंकर	ग्राम पंचायत सदस्य	2
4.	श्री विजय प्रकाश	ग्राम पंचायत सदस्य	3
5.	श्रीमती कमला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	4
6.	श्रीमती दिपांशी वर्मा	ग्राम पंचायत सदस्य	5
7.	श्री दिलीप	ग्राम पंचायत सदस्य	6
8.	श्रीमती सविता यादव	ग्राम पंचायत सदस्य	7
9.	श्री बाबूलाल	ग्राम पंचायत सदस्य	8
10.	मो० जवेद	ग्राम पंचायत सदस्य	9
11.	मो० इशितयाक	ग्राम पंचायत सदस्य	10
12.	श्री आशीष कुमार	ग्राम पंचायत सदस्य	11

13.	श्रीमती कुसमा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	12
14.	श्री वैभव कुमार	ग्राम पंचायत सदस्य	13
15.	श्रीमती आबिदा	ग्राम पंचायत सदस्य	14
16.	श्री अर्जुन कुमार	ग्राम पंचायत सदस्य	15

## संलग्नक-2

### ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

ग्राम पंचायत करनपुर में जलवायु आपदा एवं जोखिम की पहचान, समझ एवं रहन-सहन आदि को जानने हेतु ग्राम पंचायत के सभी मजदूरों यथा करनपुर, कुन्दनगंज, चमनगंज, मुस्लिमनगर, नरहिया, राजाखेड़ा में पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत के वरिष्ठ व्यक्तियों एवं उन मजदूरों में रहने वालों ग्राम वासियों के साथ भ्रमण करते हुए गाँव संरचना, पशुपालन, आधारभूत संरचना जैसे नाली, सड़क, खडंजा, स्कूल, तालाब इत्यादि का भ्रमण दिनांक 14/03/2023 को किया गया। भ्रमण की शुरुवात चमनगंज से की गयी जो क्रमशः करनपुर, कुन्दनगंज, नरहिया, मुस्लिम नगर, राजाखेड़ा और रघुनाथ खेड़ा में जा कर समाप्त हुई। भ्रमण के दौरान पाया गया की बसाहट की दृष्टि से करनपुर सबसे बड़ा मजरा है, यहाँ पर दलित बस्ती में रामदयाल के घर के पास दो तालाब हैं जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में जलजमाव हो जाता है। ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ निम्न है

### ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

<b>बसाहट</b>	<p>करनपुर ग्राम पंचायत की बसावट राष्ट्रीय राजमार्ग 24B के दोनों तरफ लगभग दो किलोमीटर के दायरे में है, करनपुर ग्राम पंचायत में कुल सात मजरे हैं जिनकी बसावट क्रमशः स्पष्ट की गयी है</p> <p>चमनगंज— राष्ट्रीय राजमार्ग से लखनऊ की तरफ से आने पर सबसे पहला मजरा चमनगंज है, यहाँ पर लगभग 32 घर हैं जिसमें कच्चे घरों की संख्या 8 हैं जिनकी छत घास-फूस, छप्पर, टीन आदि से पड़ी हुई है। चमनगंज में मात्र एक इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगा हुआ है। आवागमन हेतु गाँव में खडंजा बना है जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है।</p> <p>करनपुर – राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व की तरफ लखनऊ की तरफ से आने पर करनपुर मजरा पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मजरा है तथा इसी मजरे के नाम पर ग्राम सभा का गठन किया गया है, यहाँ पर लगभग 390 घर हैं जिसमें 30 घर कच्चे हैं जिनकी छत घास-फूस, छप्पर, टीन आदि से पड़ी हुई है। करनपुर में 25 इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगा हुआ है। आवागमन हेतु गाँव में खडंजा तथा जल निकासी हेतु नाली का निर्माण हुआ है परन्तु कुछ स्थानों पर यह बहुत ही जर्जर स्थिति में है जिनके मरम्मत अथवा नव निर्माण की आवश्यकता है। 10-15 वर्ष पूर्व सबसे अधिक आबादी भी करनपुर मजरे में थी परन्तु लोगों ने</p>
--------------	---

	<p>सड़क के किनारे घर बनवा लिए जिससे अब कुन्दनगंज मजरे की आबादी सबसे अधिक हो गई है।</p> <p>कुन्दनगंज – राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर की तरफ लखनऊ की तरफ से आने पर करनपुर के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही कुन्दनगंज मजरा आता है, यहाँ पर कुल घरों की संख्या 442 है जिसमें 35 घर कच्चे हैं, यहाँ 33 इन्डियामार्क हैण्डपम्प लगे हुए हैं।</p> <p>मुस्लिमनगर – राष्ट्रीय राजमार्ग से पश्चिम की तरफ कुन्दनगंज के सामने मुस्लिम नगर मजरा है यहाँ की अधिकतर आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, रेलवे स्टेशन इस मजरे के ठीक सामने है, यहाँ कुल 40 घर हैं जिसमें से 7 घर कच्चे बने हुए हैं, यहाँ पर इण्डिया मार्क नालों की संख्या 2 है।</p> <p>राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 1-5 किलोमीटर दूर करनपुर मजरे के उत्तर पूर्व में नरहिया, उत्तर में राजाखेड़ा तथा उससे लगा हुआ ही रघुनाथ खेड़ा मजरा है, इनमें क्रमशः 22 घर, 38 घर एवं 8 घर हैं।</p> <p>गाँव के लोगों ने पशुपालन कर रखा है जिसमें मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी दिखी। कुछ परिवारों ने मुर्गी पालन भी किया हुआ है, जानवरों का गोबर मुख्यतः सड़क के किनारे घूरों में डाला जाता है जिससे, बरसात के समय नालियों के जाम होने, गंदगी तथा बीमारे फैलने की समस्या हो जाती है।</p>
<p><b>ताल-तलैया</b></p>	<p><b>ग्राम पंचायत में कुल 24 छोटे बड़े तालाब हैं जिसमें सबसे अधिक तालाब करनपुर मजरे में हैं</b></p> <p>करनपुर मजरे में सबसे अधिक 13 तालाब हैं, जिनमें से कुछ के नाम क्रमशः कंद गडहा, भितरिया, दशा, अमृत सरोवर तथा सुखराज का तालाब हैं, इनमें सबसे बड़ा तालाब भितरिया तालाब है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.8 एकड़ है, और इससे जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। सुखराज तालाब में भी सफाई की आवश्यकता है।</p> <p>कुन्दनगंज मजरे में कुल 7 तालाब हैं इनमें कुछ के नाम भवानी सागर, टावर तालाब, पड़वा का तालाब है।</p> <p>चमनगंज में छोटे और बड़े दो तालाब है जिसके नाम गगन गाड़िया तथा बड़ेबाबा का तालाब है जो रेलवे लाइन के पास है।</p> <p>नहरिया में नहरिया नाम का तालाब है।</p> <p>राजाखेड़ा में चंदा का ताल नाम से एक तालाब है। तालाबों पर गाँव के लोगो ने अतिक्रमण रखा, गाँव के अन्दर के तालाबों में गाँव का गन्दा पानी कूड़ा आदि फेंका जाता है इससे उसमें पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तथा लोगों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।</p>
<p><b>नाला</b></p>	<p>गाँव में चमनगंज से रेलवे लाईन तक कच्चा नाला है जिसमें कई जगह जलकुम्भी जमी हुई है तथा बहुत जगह से टूटा हुआ है, इसके साथ ही जल निकासी हेतु करनगंज में एक पक्का नाला भी बना हुआ है जो जगह-जगह से टूटा हुआ है जिससे जल निकासी पूरी तरह से नहीं हो पाती।</p>



<p><b>हरित क्षेत्र बाग-बगीचा</b></p>	<p>ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्र बहुत कम देखने को मिला है। कुछ लोगों ने आम और जामुन के 1-2 पेड़ अपने खेतों में लगा रखा है, गाँव के अंदर कुछ नीम के वृक्ष दिख जाते हैं। अमृत सरोवर और विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, इसके अतिरिक्त भी कई तालाबों में भी मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य हुआ है परन्तु किसी प्रकार की सुरक्षा ना होने के कारण आंवारा पशुओं द्वारा सभी वृक्ष नष्ट कर दिए गए।</p>
<p><b>भौतिक संसाधन</b></p>	<p>ट्रांजेक्ट वॉक के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत करनपुर भौतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, करनपुर मजरे में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमृत सरोवर, पंचायत भवन तथा एक आयुष चिकित्सालय, सीरी ग्राम पंचायत का एक हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र बना हुआ है, कुन्दनगंज में एक प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक शौचालय तथा मुस्लिम नगर में मिनी सचिवालय बना हुआ है, ग्राम पंचायत में कुन्दनगंज रेलवे स्टेशन भी है जो लखनऊ वाराणसी/प्रयागराज रेलमार्ग पर स्थित है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में कुछ कक्ष, छत एवं दरवाजे तथा खिड़कियाँ मरम्मत योग्य हैं।</p>



### सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरो के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित खेलकूल मैदान के परिषर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	322.5 हे0	सभी मजरो की आबादी, खेती एवं बाग-बगीचों को मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	7	करनपुर, कुन्दनगंज, चमनगंज, मुस्लिमनगर, नरहिया, राजाखेड़ा, रघुनाथ खेड़ा
कुल घरों की संख्या	972	करनपुर (390 घर), कुन्दनगंज (442 घर), चमनगंज (32 घर), मुस्लिमनगर (40 घर), नरहिया (22 घर), राजाखेड़ा (38 घर), रघुनाथ खेड़ा (8 घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	881	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	91	करनपुर (30 घर), कुन्दनगंज (35 घर), चमनगंज (8 घर), मुस्लिमनगर (7 घर), नरहिया (3 घर), राजाखेड़ा (6 घर), रघुनाथ खेड़ा (2 घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	140	सभी मजरो में
विकलांग जनों की संख्या	32	11 महिला, 21 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	92	सभी मजरो में
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	67	करनपुर(25), कुन्दनगंज(33), चमनगंज(1), मुस्लिमनगर(2), नरहिया(3), राजाखेड़ा(2), रघुनाथ खेड़ा(1)

### जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	85
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	534
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	353
<b>कुल घरों की संख्या</b>	<b>972</b>

ग्राम पंचायत करनपुर विकासखण्ड मुख्यालय बछरावां से पूर्व दिशा में लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में कुल 7 मजरे हैं जिनमें से 4 मजरे यथा करनपुर, चमनगंज, कुन्दनगंज तथा मुस्लिम नगर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर में बसा हुआ है, इसके तीन मजरे नरहिया, राजा खेड़ा, रघुनाथ खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व की तरफ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर है। ग्राम पंचायत में रेलवे स्टेशन, पंचायत भवन, मिनी सचिवालय, एक प्राथमिक विद्यालय, 4 आंगनवाडी केंद्र, एक आयुष चिकित्सालय, एक पूर्वमाध्यमिक विद्यालय, एक निजी इंटर कॉलेज तथा चार पुराने मंदिर भी हैं। आंगनवाडी केंद्र प्राथमिक विद्यालय, पूर्वमाध्यमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन के कक्षों में चलते हैं, आंगनवाडी का अपना भवन नहीं है। यहां पर मुख्य रूप से दलित, मुस्लिम, गुप्ता, ब्राम्हण, क्षत्रीय, श्रीवास्तव, यादव, चौरसिया, दलित आदि जातियां निवास करती हैं।


ग्राम पंचायत में कुल 140 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। चमनगंज राष्ट्रीय राजमार्ग से काफी नीचा होने के कारण जल जमाव की समस्या से प्रभावित रहता है। रघुनाथ खेड़ा में सबसे कम मात्र 8 घर हैं।

ग्राम पंचायत में 32 दिव्यांगजन हैं जिनमें से 11 महिला तथा 21 पुरुष हैं। सभी आंशिक रूप से विकलांग हैं।

गाँव में लगभग 85 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते हैं जबकि 80 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

92 परिवार ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है।

### आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी/सेवा क्षेत्र	35
उद्योग/व्यवसाय	56
कुटीर उद्योग	115
कृषि एवं कृषिगत मजदूरी	450
हस्तशिल्प/मिट्टी के बर्तन	17
पशुपालन	90
लोकल दुकान	100
दिहाड़ी मजदूर	261
अन्य	70







# ग्राम पंचायत का नजरी नक्सा



**आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम**

ग्राम पंचायत करनपुर में आपदाओं की समय रेखा एवं उससे पड़ने वाले प्रभाव का जानने के लिए समुदाय के साथ चर्चा किया गया जिसमें कौन सी आपदा किस वर्ष हो रही है एवं समुदाय पर इसका क्या प्रभाव हुआ जानने का प्रयास किया गया. समुदाय से हुई चर्चा के अनुसार वर्तमान में उन्हें सूखे का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया, सूखे के साथ ही गाँव वाले प्रत्येक वर्ष बरसात के समय तथा उसके बाद कई महीनों तक जलजमाव की समस्या से पीड़ित रहते हैं, विगत वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। वर्तमान में गाँव वाले बिरला सीमेंट फैक्टरी से निकलने वाले धूल से सबसे अधिक प्रभावित हैं गाँव वालों के अनुसार फैक्टरी से निकलने वाली धूल के कारण जमीन बंजर हो रही फैक्टरी के आसपास के खेतों में फसल का उत्पादन 50% से भी कम हो गया साथ ही साथ सांस एवं टायफायड के मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है लगभग हर घर में कोई न कोई टायफायड का मरीज अवश्य है। विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। चर्चा में प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है—

क्रम	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1968	बाढ़	बहुत अधिक वर्षा	3-4	225 लोग प्रभावित	लगभग 70 लोगों के घर टूट गए, फसल बर्बाद हो गयी थी	—
2.	1973	आंधी तूफान	आंधी, तूफान बेमौसम बरसात	—	पूरा गांव के लोग	बहुत सारे परिवारों के छप्पर गिर गए, लगभग -20 मवेशियों की पेड़ गिरने के कारण मृत्यु हो गई	कोई कार्य नहीं
3.	1992	सूखा	पूरे वर्ष बहुत कम बारिश हुई	—	पूरा गांव के लोग	200 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई	—
4.	1998	आंधी-तूफान	बेमौसम वर्षा और तेज तूफान	—	पूरा गांव के लोग	लगभग 70 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा	कुछ लोगों को घर गिरने का मुआवजा मिला
5.	2000	शीतलहर	बहुत अधिक ठंड और हवा	2 बुजुर्ग	पूरा गांव के लोग	फसल प्रभावित हुई एवं 30 बकरियों की मृत्यु हो गयी थी।	कोई कार्य नहीं
6.	2012	शीतलहर	बहुत अधिक ठंड और हवा	—	पूरा गांव के लोग		कोई कार्य नहीं

7.	2018	सूखा	बारिश कम हुई	—	—	216 हे0 खेत प्रभावित, धान के फसल में उत्पादन में कमी	धान की फसल में अतिरिक्त सिंचाई से लागत में वृद्धि
8.	2019-2020	करोना का प्रभाव	प्रवासी मजदूर गाँव वापस आ गए	1	पूरा गाँव के लोग	रोजगार बाधित तथा आर्थिक क्षति	सरकार द्वारा राशन किट, फ्री राशन और टीकाकरण
9.	2019	बाढ़	अधिक वर्षा	—	पूरा गाँव के लोग	लगभग 100 कच्चे माकन एवं छप्पर गिरे थे	मनरेगा के अंतर्गत तालाब की खुदाई हुई, नाली बनाई गयी
10.	2020, 2022	सूखा	बारिश कम हुई जल संचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण	—	—	216 हे0 खेत प्रभावित, धान के फसल में उत्पादन में कमी	धान की फसल में अतिरिक्त सिंचाई से लागत में वृद्धि

### संलग्नक-5

#### आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	450	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>जलजमाव के कारण निराई, गुड़ाई इत्यादि में समस्या आती है, फसलों में सड़न पैदा होना प्रारम्भ हो जाता है।</li> <li>लोगों के और कृषि उपकरणों के आवागमन प्रभावित होने से से कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है।</li> <li>धान में हर्दिया रोग हो जाता है</li> <li>धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है।</li> <li>कम दिन के जलजमाव वाले क्षेत्र की पैदावार भी प्रभावित होता है।</li> </ul>
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>फसलें सूखना प्रारम्भ हो जाती है।</li> <li>वाटर लेबल नीचे चला जाता है जिससे सिंचाई खर्च अधिक लगता है।</li> <li>पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।</li> <li>फसलों की बढ़वार नहीं होता है।</li> <li>सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है।</li> </ul>
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>आलू में पाला की समस्या होती है और झुलसा रोग लगने लगता है।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>● सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है।</li> <li>● फसलों की बढ़वार प्रभावित हो जाती है।</li> </ul>
2.	मजदूरी	300	जल जमाव			<ul style="list-style-type: none"> <li>● आवागमन बाधित होता है। जिससे रोजगार हेतु जा नहीं पाते।</li> <li>● मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलती है।</li> </ul>
			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> <li>● कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।</li> <li>● खान-पान पर प्रभाव पड़ता है।</li> <li>● आजीविका प्रभावित होती है।</li> <li>● आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।</li> <li>● पलायन करना पड़ता है।</li> </ul>
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● काम नहीं मिल पाता है।</li> <li>● स्वास्थ्य खराब रहता है।</li> <li>● खर्चा बढ़ जाता है।</li> </ul>
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)	90	जल जमाव			<ul style="list-style-type: none"> <li>● चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है।</li> <li>● जलजमाव से चारागाह की खास खराब हो जाती है।</li> <li>● फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं मिल पाता है।</li> <li>● पशुओं में बीमारी हो जाती है।</li> </ul>
			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> <li>● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।</li> <li>● गाय-भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है।</li> <li>● चारा कम हो जाता है।</li> <li>● तपती धूप के कारण पशुओं में बीमारी का होना।</li> <li>● मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है। चूजे मर जाते हैं।</li> </ul>
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● पशुचारे की समस्या हो जाती है।</li> <li>● पशुओं में बीमारियां हो जाती हैं।</li> <li>● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।</li> <li>● बकरियों में पोकनी की बीमारी होने से बकरियों की मृत्यु हो जाती है।</li> <li>● मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो जाती है।</li> </ul>



रिपोर्ट टीम का नाम

1. शिवानन्द शुक्ल
2. आदित्य मिश्र
3. प्रमोद सिंह

पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन-पानी संस्थान

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
<b>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना</b>				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>99</sup> = <b>₹70 प्रति पेड़</b> (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>100</sup> = <b>₹1,200 प्रति इकाई</b></p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: <b>₹1.5 लाख/हेक्टेयर</b></p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>• लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ <b>चरण 1</b> से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>101</sup> = <b>₹40,000/हेक्टेयर<sup>102</sup></b></p>	

99 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

100 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

101 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

102 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul>	1 मी. मेड़बंधी के लिए <sup>103</sup> = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब</p> <p><b>चरण 3:</b> यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>104</sup> = ₹90,000	

103 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

104 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): <b>₹60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): <b>₹33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = <b>₹1,00,000</b></p> <p>कुल लागत<sup>105</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = <b>₹2,47,100</b></p>	

105 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>106</sup> = <b>₹35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹35,000<sup>107</sup></b></p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>108</sup>:</p> <p>1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = <b>₹7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3,75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b></p>	

106 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

108 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालों की सफाई और गाद निकालना, जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>सीवेज उपचार के लिए आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर DEWATS का निर्माण</p> <p><b>चरण 2 &amp; 3:</b> चरण 1 में की गई गतिविधियाँ जारी</p>	<p>अधिकतर एचआरवीसीए में प्रदान की गई लागतों का संदर्भ लें</p> <p>DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब के लिए:</p> <p>प्रत्येक जीपी के लिए 5000 की आबादी और जल आपूर्ति मात्रा 100 लीटर/व्यक्ति/दिन,</p> <p>उत्पन्न अपशिष्ट जल जल आपूर्ति का 70% है, इसलिए उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल 3,50,000 लीटर/दिन या 0.35 एमएलडी है।</p> <p>इसलिए, भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब की अनुमानित क्षमता = 0.70 MLD (मौजूदा उत्पन्न अपशिष्ट जल को दोगुना करना)</p> <p>1 एमएलडी क्षमता वाले DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब की अनुमानित लागत रु. 50 लाख है, इसलिए 0.7MLD DEWATS की लागत अनुमान लगभग रु40 लाख है</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<b>चरण 1:</b> सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य <b>चरण 2 और 3:</b> सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत <sup>109</sup> : <b>₹ 50,00,000</b> प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: <b>~₹3,00,000</b> उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 &amp; 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = <b>₹6,00,000</b> 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = <b>₹5 लाख से 10 लाख</b>	

109 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या<sup>110</sup> =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>b. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>d. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना</p>	

110 लागत बाज़ार भाव के अनुसार



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 3:</b> a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>111</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>112</sup> = ₹15,000	
2	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना b. दिव्यांग सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण  <b>चरण 2 और 3:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	लागत ट्विन पिट वाले शौचालय: ₹12,000  दिव्यांग सदस्यों के लिए शौचालय: ₹8,00,000	
3	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)  संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न <sup>113</sup> की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2  प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

111 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

112 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

113 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 2 और 3:</b> a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>114</sup> : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	
4	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<b>चरण 1:</b> a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

114 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p><b>चरण 3:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1	सौर छतें	<p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) =            स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000<sup>115</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या =            उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*            0.82/ 1000 =            ___ टन CO<sub>2</sub></p>
---	----------	---	--	--

115 एमएनआरई और मौजूदा बाज़ार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 2 और 3:</b> परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 kWp</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWp</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWp</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>#</sup> = ₹50,000<sup>116</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 kWp</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>117</sup> = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

116 एमएनआरई और मौजूदा बाज़ार दरों के अनुसार लागत

117 स्थापना/लगाने की लागत बाज़ार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत<sup>118</sup> = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO<sub>2</sub>e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = <b>₹45,000</b></p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = <b>₹3,000</b><sup>119</sup></p>	

118 लागत बाज़ार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

119 बाज़ार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = <b>₹70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = <b>₹220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = <b>₹1,110<sup>120</sup></b></p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹10,000<sup>121</sup></b></p>	

## आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत <sup>122</sup>	
---	---	--------------------------	--	--

120 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

121 बाज़ार दर के अनुसार लागत

122 बाज़ार दर के अनुसार लागत

# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाज़ार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।



## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्रोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियाँ और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

### औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b>			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
<b>अन्य पेड़</b>			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

# NOTES

# NOTES





